



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2008/भाद्रपद 7, 1930

No. 304]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2008/BHADRAPADA 7, 1930

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2008

सं. 1/1/2008-आई सी.— सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन संकल्प सं. 5/2/2006-संस्था- III (क) दिनांक 05 अक्टूबर, 2006 के अंतर्गत किया गया था जिसे [(आर.बी.आई. को छोड़कर) संसद के अधिनियमों के तहत गठित अन्य विनियामक निकायों के सदस्यों को शामिल करने हेतु] संकल्प सं. 5/2/2006-संस्था-III(क), दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 तथा [सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इनके दायरे में शामिल करने के लिए] संकल्प सं. 5/2/2006-संस्था-III(क), दिनांक 08 अगस्त, 2007 के तहत संशोधित किया गया था। आयोग ने संघ शासित क्षेत्रों, अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा सेनाओं से संबंधित कार्मिकों तथा भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग (आई.ए.एंड ए.डी.) के कर्मचारियों और नियामक निकायों (भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर) के सदस्यों के साथ-साथ सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिलब्धियों के ढांचे, भत्तों तथा सेवा-शर्तों और पेंशन लाभों के संबंध में अपनी सिफारिशों 24 मार्च, 2008 को सरकार को सौंपी। सरकार ने समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' श्रेणी के सिविल कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों और नियामक बोर्ड (आर.बी.आई. के सिवाय) के सदस्यों/अध्यक्षों से संबंधित इन सिफारिशों पर गहन विचार-विमर्श करते हुए निम्नलिखित संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को एक पैकेज के रूप में स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया है:-

- (i) आयोग द्वारा संस्तुत निम्नलिखित वेतन बैंड सुधार और संशोधन के पश्चात् निम्न प्रकार होंगे:-

आयोग द्वारा की गई सिफारिश	सरकार का निर्णय
वेतन बैंड-1 4860-20200 रुपए	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
वेतन बैंड-2 8700-34800 रुपए	वेतन बैंड-2 9300-34800 रुपए
वेतन बैंड-4 39200-67000 रुपए	वेतन बैंड-4 37400-67000 रुपए

(1)

- (ii) वेतन बैंड 4 में से एच.ए.जी.+ नाम से 75500-80000 रुपए का एक नया वेतनमान (वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से) बनाया जाएगा ।
- (iii) आयोग द्वारा संस्तुत निम्नलिखित ग्रेड वेतन में सुधार करके संशोधित ग्रेड वेतन निम्न प्रकार होंगे:-

आयोग द्वारा संस्तुत	सरकार का निर्णय
10000-15200 रुपए और 10325-10975 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमानों के लिए वेतन बैंड-3 में 6100 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-3 में 6600 रुपए
10650-15850 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6500 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-3 में 6600 रुपए
12000-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6600 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-3 में 7600 रुपए
12750-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7500 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-3 में 7600 रुपए
12000-18000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7600 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-3 में 7600 रुपए
14300-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7600 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-4 में 8700 रुपए
15100-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 8300 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-4 में 8700 रुपए
16400-20000 रुपए तथा 16400-20900 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमानों के लिए वेतन बैंड-3 में 8400 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-4 में 8900 रुपए
14300-22400 रुपए तथा 18400-22400 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमानों के लिए वेतन बैंड-4 में 9000 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-4 में 10000 रुपए
22400-24500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 11000 रुपए का ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन- पी.बी.-4 में 12000 रुपए
22400-26000 रुपए तथा 24050-26000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमानों के लिए वेतन बैंड-4 में 13000 रुपए का ग्रेड वेतन	एच.ए.जी. + के रूप में 75500-80000 रुपए (वार्षिक वृद्धि 3 प्रतिशत है) का एक नया वेतनमान अलग से बनाया गया है

टिप्पणी 1: भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा को तीन स्तरों जोकि वरिष्ठ समयमान, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तथा चयन ग्रेड के रूप में मिल रहे मौजूदा लाभ उन्हें मिलने वाली दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियों, जो कि प्रत्येक 3 प्रतिशत की

दर से होंगी तथा वेतन बैंड में समायोजित की जाएंगी, के रूप में मिलना जारी रहेंगे।

टिप्पणी 2: ग्रेड वेतन से केवल एक ही संवर्ग के पदानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण होगा न कि अन्य संवर्गों के बीच।

- (iv) संशोधित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के मौजूदा वेतनमान पर 01.01.2006 को आहरित मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा किया जाएगा तथा बाद में इसे 10 के अगले गुणज से पूर्णांकित किया जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त संख्या ही संशोधित रनिंग वेतन बैंड में वेतन के रूप में मान्य होगी। सरकार द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान के समकक्ष नियत ग्रेड वेतन को संशोधित वेतन बैंड में आकलित वेतन से जोड़ दिया जाएगा। वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आकलित कुल वेतन ही 01.01.2006 को यथा-विद्यमान संशोधित मूल वेतन होगा;
- (v) आयोग द्वारा संस्तुत 2.5 प्रतिशत की वार्षिक वेतनवृद्धि को बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है और आयोग द्वारा वेतन बैंड-3 में उच्चलब्धकों के लिए यथा-संस्तुत 3.5 प्रतिशत की परिवर्तनीय वेतनवृद्धि की दर को बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है;
- (vi) परिवहन भत्ता प्रदान करने के लिए 'कैम्पस' की बंदिश को हटा लिया गया है, जिसके फलस्वरूप, परिसर में रहने वाले कर्मचारी भी परिवहन भत्ता पाने के हकदार होंगे। इसके साथ ही निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता ए-1/ए श्रेणी के नगरों के लिए (400 रुपए से बढ़ाकर) 600 रुपए कर दिया गया है तथा अन्य कस्बों के लिए इसे (300 रुपए से) बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है;
- (vii) आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) स्कीम के अंतर्गत 10, 20 तथा 30 वर्षों पर तीन स्तरोन्नयन प्रदान किए जाएंगे। ए.सी.पी. स्कीम समूह 'क' कर्मचारियों पर भी लागू होगी;
- (viii) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) में उप महानिरीक्षक (डी.आई.जी.) तथा इससे ऊपर के स्तर पर भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति कोटा के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय प्रशासनिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। तथापि, डी.आई.जी. के पद पर स्तरोन्नत अपर डी.आई.जी. के मौजूदा पदों को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के संवर्ग अधिकारियों द्वारा भरा जाना जारी रहेगा;
- (ix) केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं के लिए वर्ष में एक बार पैन्लीकरण तथा संवर्ग समीक्षा आवश्यक होगी; और

- (X) समूह 'ख' संवर्गों के संबंध में आयोग की सिफारिशों नीचे लिखे अनुसार संशोधित की जाएंगी: -
- (क) वेतन बैंड-2 में 4800 रुपए के प्रविष्टि ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा के बाद दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (दानिक्स) और दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के अधिकारियों को वेतन बैंड-2 में नहीं, बल्कि वेतन बैंड 3 में 5400 रुपए का अकार्यात्मक ग्रेड प्रदान किया जाएगा;
- (ख) वेतन बैंड-2 में 4800 रुपए के वेतन में चार वर्षों की नियमित सेवा के बाद ही केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा मुख्यालय सेवाओं में अवस्थित अन्य समकक्ष अधिकारियों को भी वेतन बैंड-2 में नहीं, अपितु वेतन बैंड-3 में 5400 रुपए का अकार्यात्मक ग्रेड प्रदान किया जाएगा;
- (ग) भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा तथा सभी संगठित लेखा संवर्गों, अनुभाग अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों आदि को आमेलित किया जाएगा तथा उन्हें आयोग द्वारा यथा-संस्तुत वेतन बैंड-2 में 4800 रुपए के ग्रेड वेतन में रखा जाएगा। छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन के फलस्वरूप लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (ए.ओ.ज़) को 5400 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-2 में रखा जाएगा और वरिष्ठ ए.ओ.ज़ को 5400 रुपए का ग्रेड वेतन देते हुए वेतन बैंड-3 में रखा जाएगा;
- (घ) डाक, राजस्व आदि विभागों के समूह 'ख' अधिकारियों को वेतन बैंड-2 में 4800 रुपए के ग्रेड वेतन में चार वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड- 2 में 5400 रुपए का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाएगा।
2. अनुबंध-I के भाग- क में दिए गए विवरण के अनुसार केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों के लिए संशोधित वेतनमानों तथा महंगाई भत्ते आदि के संबंध में आयोग द्वारा संस्तुत सिफारिशों और सरकार द्वारा उन पर लिए गए निर्णय 01 जनवरी, 2006 से लागू होंगे।
3. महंगाई भत्ते के अलावा अन्य सभी संशोधित भत्ते पहली सितम्बर, 2008 से लागू होंगे।
4. बकायों के भुगतान के संबंध में आयोग की सिफारिशों में संशोधन इस रूप में किया गया है कि बकायों का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त मौजूदा वित्तीय वर्ष (2008-09) में 40 प्रतिशत होगी तथा शेष 60 प्रतिशत राशि अगले वित्त वर्ष (2009-10) में दी जाएगी।

5. सरकार सहमत है कि रेल मंत्रालय में मास्टर क्राफ्ट्समैन के वेतनमान के संबंध में आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा गठित एक फास्ट ट्रैक कमेटी को सौंप दिया जाए। इस बारे में कोई फैसला होने तक मास्टर क्राफ्ट्समैनों पर सामान्य प्रतिस्थापित वेतनमान ही लागू होंगे।
6. वैयक्तिक अर्थात् व्यक्ति-परक, पद-विशिष्ट और संवर्ग-विशिष्ट विसंगतियों की जांच के लिए सरकार ने एक विसंगति समिति के गठन का अनुमोदन कर दिया है। विसंगति समिति को कोशिश करनी चाहिए कि वह एक वर्ष के भीतर अपना काम खत्म कर दे।
7. इस संकल्प में शामिल न की गई विभाग विशिष्ट सिफारिशों को संबंधित विभाग/मंत्रालय द्वारा ही प्रक्रियायित किया जाएगा और इन मामलों पर सरकार का आदेश वित्त मंत्रालय/अथवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए प्राप्त किया जाएगा।
8. पांच विशिष्ट विनियामक निकायों, जोकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हैं, - के अध्यक्षों और पूर्वकालिक सदस्यों को 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए प्रतिमाह (बिना आवास और कार के) के उच्चतर वेतन पैकेज देने संबंधी आयोग की सिफारिश को सरकार ने मान लिया है। तथापि, विशिष्ट विनियामक प्राधिकरणों में कार्यरत मौजूदा पदधारकों को एक विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे कार और आवास सुविधा के साथ अपने वर्तमान वेतन एवं भत्तों को लेना जारी रखें अथवा कार और आवास के बिना उच्चतर वेतन पैकेज का प्रस्तावित विकल्प स्वीकार करें। अन्य विनियामक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए सामान्य प्रतिस्थापित वेतनमान ही लागू होंगे।
9. सरकार ने केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) में कमांडेंट तथा उससे नीचे के अधिकारियों और दुष्कर क्षेत्रों/घुसपैठ ग्रस्त इलाकों तथा ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में तैनात बटालियनों के अन्य रैंकों के लिए एक स्कीम का अनुमोदन सिद्धांत रूप से कर दिया है; क्योंकि ऐसे ही क्षेत्रों में कार्यरत रक्षा बलों के कार्मिकों को भी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को दिए जा रहे डिटेचमेंट तथा अन्य भत्तों का निर्धारण व्यय विभाग के परामर्श से किया जाएगा।
10. सरकार का निर्णय है कि केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में अधिकारियों को सुरक्षा-सहायक का मौजूदा प्रावधान फिलहाल एक निर्धारित तिथि के बाद से जारी नहीं रहेगा। इस बीच अत्यंत अपरिहार्य पदों का सृजन केवल कार्यात्मक औचित्य के आधार पर ही किया जा सकता है। सुरक्षा सहायक के संबंध में लिया गया यह निर्णय अन्य विभागों में समान रूप से स्थित श्रेणियों पर भी लागू होगा।
11. सरकार ने वास्तविक रूप से अर्हक वैज्ञानिकों को पदोन्नति के समय परिवर्तनीय वेतनवृद्धि प्रदान करने के संबंध में अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) के सुझावों को मान लिया है। इसके विस्तृत ब्यौरे वित्त मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए जाएंगे। सरकार ने वैज्ञानिक 'जी' को पदोन्नति पर 2000 रुपए का विशेष वेतन देने की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा है और अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग और जी.आर.डी.ओ. में इस राशि को दुगना कर 4000 रुपए कर दिया है और इन विभागों में 'सी' स्तर से 'एफ' स्तर तक के वैज्ञानिकों को दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान करने की मौजूदा व्यवस्था को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है।

12. डाक्टरों के लिए गतिशील ए.सी.पी. स्कीम 20 वर्षों की नियमित मेडिकल डाक्टर की सेवा वाले वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वेतन बैंड-4 का ग्रेड वेतन 10000 रुपए) तक, अथवा वेतन बैंड-4 में 8700 रुपए के अकार्यात्मक ग्रेड वेतन में सात वर्षों की नियमित सेवा करने वाले पर लागू होगी। संगठित सेवाओं से संबंधित अथवा अलग-थलग पदों वाले सभी डाक्टरों को इस डायनैमिक (गतिशील) ए.सी.पी. के तहत कवर किया जाएगा।
13. केन्द्रीय सरकार के समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों के अन्य मामलों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को इस संकल्प के साथ अनुबंधित विवरण के भाग-ख के कॉलम-3 में दर्शाया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में इन मामलों से जुड़े मुद्दों से संबंधित निर्णयों को लागू करने के लिए यथा-उपयुक्त कार्रवाई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाएगी।
14. आयोग द्वारा की गई वे सिफारिशें जोकि मानी नहीं गई हैं, अनुबंध-II में दी गई हैं।
15. सरकार का निर्णय है कि आयोग द्वारा संस्तुत कई सिफारिशों की जांच अलग से की जाए तथा उन पर निर्णय अलग से अधिसूचित किए जाएं। इस प्रकार की सिफारिशों की सूची अनुबंध-III में स्थित है।
16. इन अनुबंधों में शामिल सामान्य किस्म की अन्य सिफारिशों पर निर्णय अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।
17. भारत सरकार आयोग द्वारा किए गए कार्य के लिए आयोग की व्यापक सराहना करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों तथा सभी संबंधितों को भेजी जाए।

सुषमा नाथ, सचिव

भाग- क

‘क’, ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ समूह के सिविल कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों से संबंधित वेतन एवं महंगाई भत्ते पर छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार द्वारा उन पर लिए गए निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण पत्र (विवरण में अध्यायों तथा अनुच्छेदों का संदर्भ वेतन आयोग की रिपोर्ट से है) ।

1. वेतन

I. संशोधित वेतनमान

- (i) समूह ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ के सिविल कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों की वेतन संरचना पर छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में संस्तुत सिफारिशें तथा सरकार द्वारा उन पर लिए गए निर्णय को दर्शाने वाला विवरण ।

(रुपए में)

वर्तमान वेतन			छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमान			संशोधित वेतन-संरचना		
क्र. सं.	वेतनमान	वेतनमान	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	एस-1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300	-1एस	4440-7440	1300
2	एस-2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400	-1एस	4440-7440	1400
3	एस-2क	2610-60-2910-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1600	-1एस	4440-7440	1600
4	एस-3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650	-1एस	4440-7440	1650
5	एस-4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	4860-20200	1800	वेतन बैंड-1	5200-20200	1800
6	एस-5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	4860-20200	1900	वेतन बैंड-1	5200-20200	1900
7	एस-6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	4860-20200	2000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2000
8	एस-7	4000-100-6000	वेतन बैंड-1	4860-20200	2400	वेतन बैंड-1	5200-20200	2400
9	एस-8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	4860-20200	2800	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
10	एस-9	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	8700-34800	4200	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
11	एस-10	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	8700-34800	4200	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200

वर्तमान वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमान			संशोधित वेतन-संरचना		
क्र. सं.	वेतनमान	वेतनमान	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
12	एस-11	6500-200-6900	वेतन बैंड-2	8700-34800	4200	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
13	एस-12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	8700-34800	4200	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
14	एस-13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	8700-34800	4600	वेतन बैंड-2	9300-34800	4600
15	एस-14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	8700-34800	4800	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
16	एस-15	8000-275-13500	वेतन बैंड-2	8700-34800	5400	वेतन बैंड-2	9300-34800	5400
17	नया वेतनमान	8000-275-13500 (ग्रुप ए शुरुआत)	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
18	एस-16	9000	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
19	एस-17	9000-275-9550	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
20	एस-18	10325-325-10975	वेतन बैंड-3	15600-39100	6100	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
21	एस-19	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6100	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
22	एस-20	10650-325-15850	वेतन बैंड-3	15600-39100	6500	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
23	एस-21	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
24	एस-22	12750-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
25	एस-23	12000-375-18000	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
26	एस-24	14300-400-18300	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
27	एस-25	15100-400-18300	वेतन बैंड-3	15600-39100	8300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
28	एस-26	16400-450-20000	वेतन बैंड-3	15600-39100	8400	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
29	एस-27	16400-450-20900	वेतन बैंड-3	15600-39100	8400	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
30	एस-28	14300-450-22400	वेतन बैंड-4	39200-67000	9000	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
31	एस-29	18400-500-22400	वेतन बैंड-4	39200-67000	9000	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000

वर्तमान वेतन		छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमान			संशोधित वेतन-संरचना			
क्र. सं.	वेतनमान	वेतनमान	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	वेतन बैंड	समान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
32	एस-30	22400-525-24500	वेतन बैंड-4	39200-67000	11000	वेतन बैंड-4	37400-67000	12000
33	एस-31	22400-600-26000	वेतन बैंड-4	39200-67000	13000	एच.ए.जी. + स्केल	75500-80000	शून्य
34	एस-32	24050-650-26000	वेतन बैंड-4	39200-67000	13000	एच.ए.जी. + स्केल	75500-80000	शून्य
35	एस-33	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य
36	एस-34	30000 (नियत)	मंत्रिमंडल सचिव	90000 (नियत)	शून्य	मंत्रिमंडल सचिव	90000 (नियत)	शून्य

(II) अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमान

क्र.सं.	छटे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
(i)	<p>भारतीय प्रशासनिक सेवा*</p> <p>8000-13500 रुपए की पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए) में 5400 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>10650-15850 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6500 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>12750-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड- 3 में 7500 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>15100-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड- 3 में 8300 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>18400-22400 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 9000 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>22400-24500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 11000 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>80000 रुपए (नियत) का शीर्षस्थ वेतनमान</p>	<p>स्वीकृत ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 6600 रुपए किया गया है । इस ग्रेड में पदोन्नति के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जानी हैं ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 7600 रुपए किया गया है । इस ग्रेड में पदोन्नति के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जानी हैं ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 8700 रुपए किया गया है तथा वेतन बैंड-4 में रखा गया है । वेतन बैंड-4 को सुधार कर 37400-67000 रुपए किया गया है । इस ग्रेड में पदोन्नति के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जानी हैं ।</p> <p>ग्रेड वेतन बढ़ाकर 10000 रुपए किया गया है । सरकार आई.ए.एस. के सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति के लिए 16 वर्ष की अर्हता बहाल करे जिसे जनवरी, 2008 में घटा कर 14 वर्ष कर दिया गया है था ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 12000 रुपए किया गया है ।</p> <p>स्वीकृत ।</p> <p>संगत आदेश संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे ।</p>
	*भारतीय प्रशासनिक सेवा पर लागू वेतन ढांचा भारतीय विदेश सेवा पर भी लागू होगा ।	

II.	<p>भारतीय पुलिस सेवा 8000-13500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए) में 5400 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>10000-15200 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6100 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>12000-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6600 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>14300-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7600 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>16400-20000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 8400 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>18400-22400 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 9000 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>22400-24500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 11000 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>24050-26000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 13000 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>80000 रुपए (नियत) का शीर्षस्थ वेतनमान ।</p> <p>सशस्त्र सीमा बल और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में महानिदेशक के पदों को शीर्षस्थ वेतनमान में स्तरोन्नत करना ।</p>	<p>स्वीकृत ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 6600 रुपए किया गया है ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 7600 रुपए किया गया है ।</p> <p>ग्रेड वेतन को बढ़ाकर वेतन बैंड-4 में 8700 रुपए किया गया तथा वेतन बैंड-4 को बढ़ाकर 37400-67000 रुपए किया गया है ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 8900 रुपए किया गया है तथा वेतन बैंड-4 में रखा गया है ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 10000 रुपए किया गया है ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 12000 रुपए किया गया है । सुपर टाइम स्केल में आई.पी.एस. की पदोन्नति की 18 वर्षों की अर्हता जारी रहेगी ।</p> <p>वेतन बैंड-4 में एच.ए.जी.+ के नाम से 75500-80000 रुपए का एक नया वेतनमान बनाया गया है जिसमें वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर पर होगी ।</p> <p>80000 रुपए के शीर्षस्थ वेतनमान में पुलिस बल प्रमुख के रूप में पुलिस महानिदेशक का एक पद प्रत्येक राज्य संवर्ग में प्रदान करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा वेतन नियमों को यथा-उपयुक्ततः संशोधित किया जाएगा ।</p> <p>स्वीकृत ।</p> <p>संगत आदेश संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे ।</p>
-----	---	---

<p>III.</p>	<p>भारतीय वन सेवा 8000-13500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 5400 रुपए (15600-39100 रुपए) का ग्रेड वेतन ।</p> <p>10000-15200 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6100 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>12000-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6600 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>14300-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7600 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>16400-20000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 8400 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>18400-22400 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 9000 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>22400-24500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 11000 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>24050-26000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 13000 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>80000 रुपए (नियत) का शीर्षस्थ वेतनमान ।</p>	<p>स्वीकृत ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 6600 रुपए किया गया ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 7600 रुपए किया गया ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 8700 रुपए किया गया तथा वेतन बैंड-4 में रखा गया । वेतन बैंड-4 संशोधित करके 37400-67000 रुपए किया गया ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 8900 रुपए किया गया तथा वेतन बैंड-4 में रखा गया ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 10000 रुपए किया गया ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 12000 रुपए किया गया ।</p> <p>वेतन बैंड-4 में से निकाल कर एच.ए.जी+ के रूप में पदनामित कर 75500 - 80000 रुपए का नया वेतनमान (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)।</p> <p>भारतीय वन सेवा वेतन नियमों को प्रत्येक राज्य संवर्ग में 80,000 रुपए के शीर्षस्थ वेतनमान में वन सेवा के प्रमुख के तौर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का एक पद समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा ।</p> <p>संगत आदेश संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे ।</p>
-------------	---	--

III. समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के वेतनमान

क्र.सं.	छूटे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
i.	<p>समूह 'क' केन्द्रीय सेवाएं 8000-13500 के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 (15600-39100) में 5400 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>10000-15200 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6100 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>12000-16500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 6600 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>14300-18300 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-3 में 7600 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>18400-22400 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 9000 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>22400-24500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 11000 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>22400-26000 रुपए तथा 24050-26000 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए वेतन बैंड-4 में 13000 रुपए का ग्रेड वेतन ।</p> <p>80000 रुपए (नियत) का शीर्षस्थ वेतनमान ।</p> <p>जब कभी एक विशिष्ट बैच के आई.ए.एस. अधिकारी की तैनाती केन्द्र में वेतन बैंड-3 अथवा वेतन बैंड 4 वेतन बैंडों में निर्धारित ग्रेड वेतन पर होती है, तो संगठित समूह 'क' सेवाओं के बैचों से संबंधित उन अधिकारियों को अकार्यात्मक आधार पर सरकार द्वारा उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिए जो कि दो अथवा इससे अधिक वर्षों से वरिष्ठ हैं ।</p> <p>विभिन्न संगठित समूह 'क' सेवाओं में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता मानदण्ड एक समान होने चाहिए ।</p>	<p>स्वीकृत ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 6600 रुपए किया गया ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 7600 रुपए किया गया ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 8700 रुपए किया गया तथा वेतन बैंड-4 में रखा गया । वेतन बैंड-4 संशोधित करके 37400-67000 रुपए किया गया ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 10000 रुपए किया गया ।</p> <p>ग्रेड वेतन संशोधित कर 12000 रुपए किया गया ।</p> <p>वेतन बैंड-4 में से निकाल कर एच.ए.जी+ के रूप में पदनामित करते हुए 75500-80000 का नया वेतनमान (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)</p> <p>स्वीकृत ।</p> <p>स्वीकृत । यह अपने-अपने राज्य संवर्गों में भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा पर भी लागू होगा जिनके लिए संगत संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे ।</p> <p>स्वीकृत ।</p>

(IV) विनियामक निकायों के अध्यक्षों तथा पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन एवं भत्ते ।

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
i.	सामान्यतः विनियामक निकायों के वर्तमान सदस्यों को सामान्य प्रतिस्थापित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन दिए जाने की मौजूदा स्वीकृत दरों को संशोधित करके सरकारी कर्मचारियों के समनुरूप वर्गों के बराबर करने की सिफारिश है (पैरा सं. 8.1.7) ।	स्वीकृत ।
ii.	पांच विशिष्ट विनियामक निकायों, नामतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड तथा भारतीय प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन एवं भत्तों को सरकारी वेतनों से हटाया जाए तथा परिशोधित प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों के तौर पर नियुक्त व्यक्तियों को 1,50,000 रुपए प्रतिमाह का समेकित वेतन अदा किया जाए, जबकि अध्यक्ष को 2,00,000 रुपए प्रति माह अदा किया जाए, यदि एक कार व आवास दिया गया है तो अगर कोई कार व आवास नहीं दिया गया है तो अध्यक्ष को 3,00,000 रुपए प्रतिमाह तथा सदस्यों को 2,50,000 रुपए प्रतिमाह वेतन अदा किया जाए (पैरा सं. 8.1.7) ।	पांच विशिष्ट विनियामक निकायों के अध्यक्षों तथा पूर्णकालिक सदस्यों के लिए 2.5 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए प्रतिमाह (आवास एवं कार के बगैर) के उच्चतर वेतन पैकेज के संबंध में आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं । तथापि, इन विनियामक निकायों में मौजूदा पदधारकों को कार व आवास के साथ मौजूदा वेतन एवं भत्तों में बने रहने अथवा आवास व कार के बिना उच्चतर वेतन पैकेज में चुनाव करने का विकल्प दिया जाएगा ।

(V) वेतन बैंडों तथा ग्रेड वेतनों की संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के लिए फार्मूला

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
i.	रिपोर्ट के पैरा 2.2.21(i) से (v) तक में बताए गए तरीके से वेतन के प्रस्तावित वेतनमानों में कर्मचारियों का वेतन नियत किया जाए ।	निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत: (क) परिशोधित वेतन बैंडों में वेतन का नियतन मौजूदा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों पर 01.01.2006 की यथाविद्यमान स्थिति तक आहरित मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके और फिर उसके बाद 10 के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा न कि 1.74 के गुणक से गुणा करके जैसा कि आयोग द्वारा सिफारिश की गई है । (ख) चिकित्सकों के मामले में परिशोधित वेतन बैंडों में उनका वेतन नियत करते समय प्रैक्टिसबन्दी भत्ते पर महंगाई भत्ते का ध्यान रखा जाएगा ।

ii.	<p>क) यद्यपि, 1एस वेतनमान नियमित वेतनमान नहीं है, आरंभ में सभी समूह 'घ' कर्मचारियों को उपयुक्त ग्रेड वेतन के साथ - 1एस वेतनमान में रखा जाए। यह वेतनमान मुख्यतः उन समूह 'घ' कर्मचारियों के आरंभिक वेतन के नियतन के प्रयोजन से बनाया गया है जो सरकार द्वारा इस सिफारिश के कार्यान्वयन की तारीख से यथास्थिति तक पहले से ही नियमित आधार पर भर्ती किए जा चुके थे।</p> <p>ख) उसके उपरांत, ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी जो 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ समूह 'ग' वेतन बैंड में प्रवेश के लिए निर्धारित संशोधित न्यूनतम अर्हता पहले से ही रखते हैं, उनको उस ग्रेड में (अर्थात् 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 4860-20200 रुपए के वेतन बैंड में) 01.01.2006 से रखा जाएगा। इस नियतन के लिए फिर से कोई फिटमेंट लाभ नहीं दिया जाएगा।</p> <p>ग) समूह 'घ' के वे मौजूदा कर्मचारी जो निर्धारित की गई न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं उन्हें पुनः प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत होगी तथा उनकी विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए अलग से एक प्रशिक्षण पैकेज विकसित करने के जरूरत होगी। बहुदक्षता पर बल देने के साथ पुनर्प्रशिक्षण के बाद, समूह 'घ' कर्मचारियों को 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 4860-20200 रुपए के वेतन बैंड, वेतन बैंड-1 में रखा जाएगा। एक बार वेतन बैंड-1 वेतन बैंड में रखे जाने के बाद समूह 'घ' कर्मचारियों का यह वर्ग समूह 'घ' कर्मचारियों के अन्य वर्ग जो कि पहले से ही न्यूनतम निर्धारित अर्हता रखता था, और इस कारण तत्काल वेतन बैंड-1 में रख दिया गया था, की तुलना में अपनी वरिष्ठता पुनः ग्रहण कर लेगा।</p> <p>घ) पूर्व के सभी समूह 'घ' कर्मचारियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के उच्चतर वेतनमान में समूह 'घ' कर्मचारियों के साथ, जिन्हें निचले वेतनमान में कर्मचारी की तुलना में ऊंचा रखा जा रहा है, पूरी तरह से व्यवस्थित रखी जाएगी। उसी पूर्व-संशोधित वेतनमान में वरिष्ठता नियत करने का आधार वह तारीख होगी जिस पर व्यक्ति उस वेतनमान में रखा गया है।</p> <p>ड) निर्धारित अर्हता रखने वाले तथा निर्धारित अर्हता न रखने वाले दोनों ही मामलों में समूह 'घ' कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान दिनांक 01.01.2006 से किया जाएगा। निर्धारित अर्हता नहीं रखने वाले कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण लघु अवधि में ही अधिमानतः पूरा कर लिया जाना चाहिए, लगभग 6 माह में, ताकि वेतन बैंड-1 में नियतन तथा बकाया राशि की अदायगी में बेवजह विलम्ब न हो।</p>	<p>स्वीकृत।</p> <p>इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए होगा।</p> <p>इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए होगा।</p> <p>स्वीकृत।</p> <p>स्वीकृत।</p>
-----	---	---

(VI) लागू होने की तारीख

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
(i)	वेतन बैंडों तथा ग्रेड वेतन का संशोधित ढांचा दिनांक 01.01.2006 से लागू किया जाएगा (पैरा 6.5.2)।	स्वीकृत।

(VII) वार्षिक वेतनवृद्धियां

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
(i)	वार्षिक वेतनवृद्धि की दर: सभी रनिंग वेतन बैंडों में वार्षिक वेतनवृद्धि वेतन बैंड में वेतन तथा समनुरूप ग्रेड वेतन के कुल जोड़ के 2.5 प्रतिशत के रूप में होगी (पैरा 2.2.11)।	आयोग द्वारा संस्तुत 2.5 प्रतिशत को संशोधित करके 3 प्रतिशत कर दिया गया है।
(ii)	समूह 'क' वेतन बैंड पी.बी.-3 के लिए बैंड में वार्षिक वेतनवृद्धि निष्पादन पर निर्भर करते हुए परिवर्तित होगी। ग्रेड में कम से कम 80 प्रतिशत कर्मचारियों को 2.5 प्रतिशत की दर से सामान्य वेतनवृद्धि दी जाएगी तथा वर्ष के दौरान बेहतर निष्पादन करने वाले 20 प्रतिशत कर्मचारियों 3.5 प्रतिशत की उच्चतर दर से वेतनवृद्धि दी जा रही है (पैरा 2.2.12)।	वेतन बैंड-3 में बेहतर काम करने वालों के लिए परिवर्तनीय वेतनवृद्धि को आयोग द्वारा संस्तुत 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।
(iii)	वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख: सभी मामलों में वार्षिक वेतनवृद्धि 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई की स्थिति तक वेतनमान में छह माह और इससे अधिक पूरा कर लेने वाले कर्मचारी, इस प्रकार से वेतनवृद्धि के पात्र होंगे (पैरा 2.2.11)।	स्वीकृत

(VIII) बकाया राशि का भुगतान

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1.	सरकार बकाया राशि का भुगतान अलग-अलग वर्षों में दो बराबर किस्तों में कर सकती है (पैरा 10.1.15)।	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि बकाया राशि का भुगतान नकद रूप में दो किस्तों में किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष (2008-09) के दौरान 40 प्रतिशत तथा अगले वित्त वर्ष (2009-10) में शेष 60 प्रतिशत।

2. मूल्य वृद्धि हेतु प्रतिपूर्ति (महंगाई भत्ता)

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
i.	सरकार के वर्तमान निर्धारित आधार सूचकांक प्रणाली में नियत आधार वर्ष में जहां तक संभव हो बार-बार संशोधन करते रहना चाहिए (पैरा 4.1.10)।	स्वीकृत।
ii.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को सरकारी कर्मचारियों को विशेष रूप से शामिल करते हुए एक विशिष्ट सर्वेक्षण की संभावना तलाशने के लिए कहा जाए जिससे कि सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का	स्वीकृत।

	उपभोग बास्केट तैयार किया जा सके और अलग से एक सूचकांक बनाया जा सके। इस बीच, सरकार महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए बाद के पैराग्राफों में प्रस्तावित संशोधनों की शर्त पर ए.आई.सी.पी.आई. (आई.डब्ल्यू.) का उपयोग जारी रख सकती है (पैरा 4.1.13)।	
iii.	आधार वर्ष 2001 के साथ अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई. डब्ल्यू.) अब आगे से महंगाई भत्ता परिकलन करने के प्रयोजन से तब तक उपयोग किया जाएगा जब तक कि यह संशोधित नहीं होता। दिनांक 01.01.2006 से महंगाई भत्ते के परिकलन हेतु संदर्भ आधार ए.आई.सी.पी.आई. (आई.डब्ल्यू.), 1982 श्रृंखला के अनुसार 536 का 12 मासिक औसत सूचकांक होगा। इसे, जब 2001 श्रृंखला में बदला जाता है तो, 4.63 के लिंकिंग फैक्टर का उपयोग करते हुए 116 निकलता है (पैरा 4.1.14)।	स्वीकृत। 2001 श्रृंखला का उपयोग करते हुए आधार 115.76 निकलता है। टिप्पणी: 01.01.2006 से मंजूर महंगाई भत्ते की किस्त को वेतनमानों के कारण परिशोधित फार्मुले/बकाया के तहत अदा किए जाने वाले महंगाई भत्ते की तुलना में समायोजित की जाएगा।
iv.	वर्तमान ए.आई.सी.पी.आई. (आई.डब्ल्यू.) श्रृंखला के निर्माण में आई विकृति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा त्वरित उपायों को अमल में लाना सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से एक सूचकांक तैयार करते समय राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन इस तथ्य को ध्यान में रखें (पैरा 4.1.14)।	स्वीकृत
v.	किसी भी स्थिति में मूल वेतन में महंगाई भत्ते का आमेलन करने की संस्तुति नहीं है (पैरा 4.1.18)।	स्वीकृत।
vi.	महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार यथा 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को मंजूर किया जाना तथा सभी स्तरों पर मुद्रास्फीति तटस्थता 100 प्रतिशत बरकरार रखते हुए इसकी अदायगी प्रशासनिक सुविधा के लिए क्रमशः मार्च और सितम्बर के वेतन के साथ की जानी जारी रखी जाए (पैरा 4.1.19)।	स्वीकृत।

3. प्रैक्टिस-बंदी भत्ता

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
(i)	डाक्टरों को बैंड वेतन तथा ग्रेड वेतन के औसत की मौजूदा 25 प्रतिशत की दर पर एन.पी.ए. मिलता रहेगा बशर्ते कि मूल वेतन+एन.पी.ए. 85,000 रुपए से अधिक न हो। एन.पी.ए. की सुविधा किसी अन्य वर्ग को प्रदान नहीं की जा सकती। प्रैक्टिसबंदी भत्ता केवल उन पदासीन चिकित्सकों तक ही सीमित होना चाहिए जिन पदों के लिए चिकित्सकीय डिग्री की न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है (पैरा 4.2.53)।	स्वीकृत।

4. सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन स्कीम

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1.	आयोग ने यह सिफारिश की है कि मौजूदा स्कीम को वर्तमान में दो वित्तीय स्तरों के साथ निम्नलिखित संशोधनों सहित बरकरार रखा जा सकता है:-	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि ए.सी.पी. स्कीम के तहत सेवा के 10, 20 और 30 वर्षों के पश्चात् तीन स्तरों पर प्रोन्नयन दिए जाएंगे।

<p>i) यह स्कीम सभी समूह 'क' पदों के लिए उपलब्ध होगी चाहे ये पद अलग-थलग हों या न हों । तथापि, संगठित समूह 'क' सेवाएं इस स्कीम के तहत कवर नहीं की जाएंगी ।</p> <p>ii) सामान्य पदोन्नति के समय मिलने वाला वेतन नियतन का लाभ इस स्कीम के तहत वित्तीय स्तरोन्नतियों के समय मिलेगा । अतः इस स्कीम के तहत वित्तीय स्तरोन्नतियों के रूप में वेतन तथा ग्रेड वेतन में 2.5 प्रतिशत वृद्धि होगी ।</p> <p>iii) इस स्कीम के तहत ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नतियों के समय परिवर्तित होगा । ए.सी.पी. के तहत वित्तीय स्तरोन्नतियों के समय दिए जाने वाला ग्रेड वेतन संस्तुत संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में तुरंत अगला उच्चतम ग्रेड वेतन होगा । अतः कुछ मामलों में, जहां दो क्रमिक ग्रेडों के बीच नियमित पदोन्नति नहीं है वहां ए.सी.पी. के तहत वित्तीय स्तरोन्नतियों के समय ग्रेड वेतन, नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड वेतन से अलग होगा । ऐसे मामलों में, संबंधित संवर्ग/संगठन के पदानुक्रम में अगले पदोन्नत पद का उच्चतर ग्रेड वेतन नियमित पदोन्नति के समय ही दिया जाएगा ।</p> <p>iv) व्यक्ति के उसी ग्रेड में लगातार 12 वर्ष पूरे करने पर उसे इस स्कीम के तहत वित्तीय स्तरोन्नतियों मिलेगा । तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत पूरे करियर में दो से अधिक वित्तीय स्तरोन्नतियों प्रदान नहीं किए जाएंगे ।</p> <p>उपरोक्त संशोधनों सहित इस स्कीम को संशोधित ए.सी.पी. स्कीम कहा जाएगा तथा यह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का एक समान प्रोन्नत सुनिश्चित करेगी (पैरा. 6.1.15) ।</p>	<p>स्वीकृत ।</p> <p>इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि वेतनवृद्धि की दर 3 प्रतिशत होगी ।</p> <p>स्वीकृत ।</p> <p>इसमें यह संशोधन किया गया है कि व्यक्ति के उसी ग्रेड में लगातार 10 वर्ष पूरे करने पर उसे वित्तीय स्तरोन्नतियों दिया जाएगा । इसके आगे सेवा के 10, 20 तथा 30 वर्ष पूरे होने पर तीन स्तरोन्नतियों दिए जाएंगे ।</p>
---	--

5. निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
(i)	आयोग ने नियमित वेतन के अलावा सरकारों कर्मचारियों के लिए आर्थिक लाभ पर आधारित तथा निष्पादन से जुड़ी एक विशेष प्रोत्साहन स्कीम की शुरुआत की है । इस लाभ को निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (प्रिस) कहा जाएगा तथा इसमें विचारणीय अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा किए गए कामकाज के निष्पादन को ध्यान में रखा जाएगा । यह स्कीम विशिष्ट काम-काज के लिए विशिष्ट पुरस्कार के सिद्धांत पर आधारित है (पैरा 2.5.8) ।	स्वीकृत । नोडल मंत्रालय द्वारा इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे । विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिकों के लिए प्रिस स्कीम तैयार करेगा ।

भाग -ख

समूह क, ख, ग और घ के सिविल कर्मचारियों से संबंधित अन्य भत्तों के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णय को दर्शाने वाला विवरण । (विवरण में दिए गए अध्याय और पैराग्राफों के संदर्भ वेतन आयोग की रिपोर्ट से हैं) ।

क्र.सं.	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें					सरकार का निर्णय
1	नगर प्रतिपूर्ति भत्ता					
	नगर प्रतिपूर्ति भत्ते को समाप्त किया जाए (पैरा 4.2.8)					स्वीकृत ।
2	अन्य प्रतिपूर्ति भत्ते					
(i)	विशेष प्रतिपूर्ति भत्तों की दरें (पहाड़ी क्षेत्र/दूरस्थ क्षेत्र), जनजातीय क्षेत्र भत्ता, परियोजना भत्ता और खराब जलवायु भत्ता को निम्न प्रकार संशोधित किया जाए					स्वीकृत ।
	विशेष प्रतिपूर्ति (पहाड़ी क्षेत्र) भत्ता/खराब जलवायु भत्ता/आदिवासी क्षेत्र भत्ता					
	श्रेणी	खराब जलवायु/ आदिवासी क्षेत्र भत्ता		विशेष प्रतिपूर्ति (पहाड़ी क्षेत्र भत्ता)		
	5400 रुपए और उससे अधिक ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए	400 रुपए प्रतिमाह		600 रुपए प्रतिमाह		
	अन्य पदों के लिए	240 रुपए प्रतिमाह		480 रुपए प्रतिमाह		
	(पैरा संख्या 4.2.24.1)					
(ii)	विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ता					स्वीकृत ।
	श्रेणी	भाग क (रुपए प्रतिमाह)	भाग ख (रुपए प्रतिमाह)	भाग ग (रुपए प्रतिमाह)	भाग घ (रुपए प्रतिमाह)	
	5400 रुपए और उससे अधिक ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए	2600	2100	1500	400	
	5400 रुपए से कम ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए	2000	1600	1200	320	
	(पैरा संख्या 4.2.24.2)					
(iii)	परियोजना भत्ता					स्वीकृत ।
	श्रेणी	परियोजना भत्ता				
	5400 रुपए और उससे अधिक ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए	1500 रुपए प्रतिमाह				
	5400 रुपए से कम ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए	1000 रुपए प्रतिमाह				
	(पैरा संख्या 4.2.24.3)					

(iv)	संशोधित वेतन बैंडों पर देय मंहगाई भत्ता जब कभी बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा, वैसे ही उपर्युक्त सभी भत्तों की दरें 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। (पैरा संख्या 4.2.24.4)	स्वीकृत।
(v)	गांधीनगर के लिए विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता और विशेष प्रतिपूर्ति (सीमा क्षेत्र) भत्ता समाप्त किया जाए। (पैरा संख्या 4.2.24.5)	स्वीकृत।
(vi)	केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तैनाती के लिए देय विशेष (ड्यूटी) भत्ता किसी भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानांतरण पर उनकी तैनाती हेतु मौजूदा दरों पर दिया जाए, फिर चाहे स्थानांतरण पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर से हो अथवा उस क्षेत्र के किसी अन्य क्षेत्र से हो। शर्त यह है कि अखिल भारतीय स्थानांतरण को दायित्व रखने वाले सभी कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए। इस भत्ते की दर में किसी भी वृद्धि की सिफारिश नहीं की जा रही है, चूंकि भत्ता वेतन की प्रतिशतता के रूप में अदा किया जाता है। आयोग ने सिफारिश की है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमत विशेष (ड्यूटी) भत्ता और अन्य रियायतें लद्दाख में तैनात सरकारी कर्मचारियों को भी दी जाएं (पैरा संख्या 4.2.25)।	स्वीकृत।
(vii)	द्वीप-विशेष (ड्यूटी) भत्ता के संबंध में कोई परिवर्तन न करने की सिफारिश की गई है। आगे से यह भत्ता उन्हीं केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया जाए जिसका अखिल भारतीय स्थानांतरण का दायित्व न होने के बावजूद उन्हें किसी स्थान से इन द्वीपों में स्थानांतरण पर तैनात किया गया हो (पैरा संख्या 4.2.26)।	स्वीकृत।
(viii)	निकोबार द्वीपसमूह में तैनात कर्मचारियों को दुष्कर क्षेत्र भत्ता, द्वीप-विशेष (ड्यूटी) भत्ता के साथ-साथ अलग से दिया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भत्ता लक्षद्वीप द्वीपसमूह में भी दिया जाए (पैरा संख्या 4.2.26)।	स्वीकृत। यह भत्ता लक्षद्वीप में समान रूप से वर्गीकृत द्वीपसमूहों को दिया जाएगा।
3	<p>परिवहन भत्ता</p> <p>आयोग ने परिवहन भत्ते के लिए निम्नलिखित दरों की सिफारिश की है:</p>	<p>इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि परिवहन भत्ता प्रदान करने के लिए "कैम्पस" संबंधी बंदिश को हटा लिया जाएगा। परिणामस्वरूप, परिसरों में रहने वाले कर्मचारी भी परिवहन भत्ता लेने के हकदार हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, निम्नतम स्तर के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता ए-1/ए, वर्ग के शहरों में (400 रुपए) से बढ़कर 600 रुपए हो जाएगा।</p>

(रुपए) का ग्रेड वेतन ले रहे कर्मचारी	परिवहन भत्ते की दर प्रतिमाह		इसके अतिरिक्त, वेतन बैंड में वेतन के रूप में 7440 रुपए और इससे अधिक (पूर्व-संशोधित वेतनमानों में 4000 रुपए के तदनु रूप) वेतन वाले पी.बी.-1 के कर्मचारी 1600 रुपए/800 रुपए की दर के परिवहन भत्ता लेने के हकदार होंगे।
	ए-1/ए वर्ग का शहर (रुपए)	अन्य स्थान (रुपए)	
5400 रुपए और उससे अधिक तथा शीर्षस्थ वेतनमान वाले पदों तथा मंत्रिमण्डल सचिव/समकक्ष पद	3200 रुपए + उस पर महंगाई भत्ता	1600 रुपए + उस पर महंगाई भत्ता	
4200 से 4800*	1600 रुपए+ उस पर महंगाई भत्ता	800 रुपए + उस पर महंगाई भत्ता	
4200 रुपए से कम	400 रुपए+ उस पर महंगाई भत्ता	300ए+ उस पर महंगाई भत्ता	
* ऑफिसर रैंक से नीचे के समूह ख, ग, और घ के वे कर्मचारी/कार्मिक, जो 4000 रुपए और उससे अधिक संशोधित -पूर्व मूल वेतन ले रहे हैं (पैरा 4.2.43)।			
जिन कर्मचारियों को कार्यालय से एक किलोमीटर के दायरे में सरकारी आवास मुहैया कराया गया है, को परिवहन भत्ता प्रदान करने से रोकने वाली मौजूदा शर्त को हटाया जाए। इस भत्ते को प्रदान करने वाली अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी सामान्य दरों से दुगुनी दरों पर इस भत्ते को लेते रहेंगे। तथापि, शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के मामले में परिवहन भत्ता, किसी भी सूरत में 1000 रुपए प्रतिमाह जमा महंगाई भत्ते की ग्राह्य दर से कम नहीं होगा। वेतन बैंड पी.बी. -4 के वे कर्मचारी, जो आवास और कार्यालय के बीच यात्रा करने के लिए सरकारी कार का उपयोग करने के हकदार हैं, को 7000 रुपए प्रतिमाह की उच्चतर दर पर परिवहन भत्ता जमा महंगाई भत्ता लेने का विकल्प दिया जा सकता है, बशर्ते कि वे आवास और कार्यालय के बीच यात्रा के लिए सरकारी कार का उपयोग छोड़ दें। (पैरा संख्या 4.2.44)			
4 (i)	मकान किराया भत्ता आयोग ने "ग" वर्ग के शहरों (50,000 से 5 लाख तक की आबादी वाले) को "अवर्गीकृत नगरों" (50,000 से कम आबादी वाले) के साथ आमेलित करने की सिफारिश की है।		स्वीकृत।

(ii)	आयोग ने सिफारिश की है कि मकान किराया भत्ते के प्रयोजनार्थ नगरों और शहरों को वर्गीकृत करने के लिए मौजूदा जनसंख्या मापदण्डों को कायम रखा जाए। तथापि, मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु किसी शहर के वर्गीकरण के लिए शहरी बस्तियों की आबादी को भी जोड़ा जाए।	स्वीकृत।												
(iii)	आयोग ने ए-1 शहरों में रनिंग वेतन बैंड और उस पर देय ग्रेड वेतन में कुल संशोधित वेतन को 30 प्रतिशत की दर पर अदा किए जाने वाले मकान किराए भत्ते की मौजूदा दर को प्रतिधारित करने की सिफारिश की है।	स्वीकृत।												
(iv)	आयोग ने सिफारिश की है कि तत्कालीन ए, बी-1 और बी-2 श्रेणियों को आमेलित कर दिया जाए तथा सी और अवर्गीकृत श्रेणियों को भी आमेलित कर दिया जाए। मकान किराया भत्ते की निम्नलिखित दरें तदनुसार संस्तुत की गई हैं:	स्वीकृत।												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>आबादी के मानदण्डों के आधार पर शहरों और नगरों का संशोधित वर्गीकरण</th> <th>शहरों/नगरों का संशोधित वर्गीकरण</th> <th>वेतन बैंड+ ग्रेड वेतन+ एम.एस.पी.*+एन.पी.ए.* में वेतन की प्रतिशतता के रूप में एच.आर.ए. की दरें</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 लाख और उससे अधिक</td> <td>X (पूर्व में ए-1 के रूप में वर्गीकृत)</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>50-5 लाख</td> <td>Y (पूर्व में ए, बी-1 और बी-2 के रूप में वर्गीकृत)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>5 लाख से कम</td> <td>Z (पूर्व में सी और अवर्गीकृत के रूप में वर्गीकृत)</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	आबादी के मानदण्डों के आधार पर शहरों और नगरों का संशोधित वर्गीकरण	शहरों/नगरों का संशोधित वर्गीकरण	वेतन बैंड+ ग्रेड वेतन+ एम.एस.पी.*+एन.पी.ए.* में वेतन की प्रतिशतता के रूप में एच.आर.ए. की दरें	50 लाख और उससे अधिक	X (पूर्व में ए-1 के रूप में वर्गीकृत)	30	50-5 लाख	Y (पूर्व में ए, बी-1 और बी-2 के रूप में वर्गीकृत)	20	5 लाख से कम	Z (पूर्व में सी और अवर्गीकृत के रूप में वर्गीकृत)	10	
आबादी के मानदण्डों के आधार पर शहरों और नगरों का संशोधित वर्गीकरण	शहरों/नगरों का संशोधित वर्गीकरण	वेतन बैंड+ ग्रेड वेतन+ एम.एस.पी.*+एन.पी.ए.* में वेतन की प्रतिशतता के रूप में एच.आर.ए. की दरें												
50 लाख और उससे अधिक	X (पूर्व में ए-1 के रूप में वर्गीकृत)	30												
50-5 लाख	Y (पूर्व में ए, बी-1 और बी-2 के रूप में वर्गीकृत)	20												
5 लाख से कम	Z (पूर्व में सी और अवर्गीकृत के रूप में वर्गीकृत)	10												
	*जहां कहीं लागू हो	(पैरा संख्या 4.2.59)												
5	शिशु शिक्षा भत्ता शिशु शिक्षा भत्ता और ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति को आमेलित कर दिया जाए तथा आगे से प्रतिपूर्ति अधिकतम 1000 रुपए प्रति बच्चा प्रतिमाह के हिसाब से हो, बशर्ते कि यह अधिकतम दो बच्चों तक हो। छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 3000 रुपए प्रतिमाह प्रति शिशु की जाए। संशोधित वेतन बैंडों पर महंगाई भत्ता जब भी बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा, तब हर बार यह सीमा स्वयमेव 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी (पैरा संख्या 4.2.64)।	स्वीकृत।												

<p>6</p> <p>(i)</p> <p>(ii)</p>	<p>जोखिम भत्ता</p> <p>आयोग, तदनुसार, जोखिम भत्ते को समाप्त करने की सिफारिश करता है । उन सभी प्रकार के कार्यों, जिनमें एक समयावधि के बाद स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभाव डालने वाले जोखिम के स्वाभाविक तत्व मौजूद होते हैं, के लिए वेतन बैंड पी.बी.-1 के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा और 5 लाख रुपए ; वेतन बैंड पी.बी.-2 के कर्मचारियों के लिए 7 लाख रुपए; पी.बी.-3 उच्चतर वेतन बैंडों के वेतनमानों के कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए । मुद्रा-स्फीति के प्रभाव की क्षतिपूर्ति करने के लिए संशोधित वेतन पर देय महंगाई भत्ता जब भी बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाए तो हर बार बीमा की राशि स्वयमेव 50 प्रतिशत बढ़ जानी चाहिए । इस बीमा के प्रीमियम को अदा करने पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । रोजगार अर्थात् सेवा काल के दौरान किसी भी प्रकार की गंभीर चोट लगने/मृत्यु होने की स्थिति में बीमा की राशि अदा कर दी जाएगी तथा यह सरकारी कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को उपलब्ध अन्य सभी लक्ष्यों के अतिरिक्त होगी । इन कर्मचारियों को उचित स्वास्थ्य-लाभ के लिए जब भी आवश्यक हो, प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य स्वास्थ्य-जाँच और वर्धित छुट्टी के अलावा अतिरिक्त स्वास्थ्य-लाभ भी दिए जाने चाहिए । सरकार को इन कार्यों में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा देखभाल का उच्चतम स्तर भी सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उनमें निहित जोखिम को कम से कम किया जा सके । (पैरा संख्या 4.2.68)</p> <p>अस्पताल-रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता</p> <p>आयोग ने सरकारी दायित्वों को निभाते समय जोखिम का सामना करने वाले कर्मचारियों की ऐसी सभी श्रेणियों को अलग से पर्याप्त बीमा सुरक्षा देने की सिफारिश की है । यह बीमा सुरक्षा उन सभी श्रेणियों को दी जानी चाहिए, जिन्हें इस समय एच.पी.सी.ए./पी.सी.ए. मिल रहा है । साथ ही साथ, एच.पी.सी.ए./पी.सी.ए. को वापिस ले लिया जाए चूंकि उपयुक्त बीमा सुरक्षा देकर जब जोखिम-घटक कवर हो जाता है तो इन भत्तों का मौजूद रहना औचित्यपूर्ण नहीं होगा । इस मद पर कर्मचारियों द्वारा उठायी गई हानि समूह "घ" के उन मौजूदा कर्मचारियों, को की गई क्षतिपूर्ति की तुलना में अधिक होगी जो समूह "ग" में स्तरोन्नत कर दिये जाएंगे । समूह "ग" के कर्मचारियों को इस हानि की क्षतिपूर्ति निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन स्कीम के रूप में की जाएगी । (पैरा संख्या 3.6.18)</p>	<p>जोखिम बीमा स्कीम की शुरुआत कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करने के बाद 1.4.2009 से तथा 31 मार्च, 2009 तक जोखिम भत्ता को जारी रखा जाना ।</p> <p>जोखिम बीमा स्कीम की शुरुआत कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करने के बाद 1.4.2009 से तथा 31 मार्च, 2009 तक एच.पी.सी.ए./पी.सी.ए. जारी रहेगा ।</p>						
<p>7</p> <p>(i)</p>	<p>वर्दी संबंधी भत्ते</p> <p>सी.पी.एम.एफ./सी.पी.ओ.ज./आर.पी.एफ./आई.पी.एस. कार्मिकों और अधिकारियों के लिए आयोग ने वर्दी भत्ते की निम्नलिखित दरों की सिफारिश की है:</p> <table border="1" data-bbox="316 1824 1121 2001"> <thead> <tr> <th>अनुदान</th> <th>दर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रारंभिक अनुदान</td> <td>14000 रुपए</td> </tr> <tr> <td>नवीकरण अनुदान</td> <td>3000 रुपए (प्रत्येक तीन वर्ष बाद देय)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(पैरा संख्या 4.2.73 और 74)</p>	अनुदान	दर	प्रारंभिक अनुदान	14000 रुपए	नवीकरण अनुदान	3000 रुपए (प्रत्येक तीन वर्ष बाद देय)	<p>स्वीकृत ।</p>
अनुदान	दर							
प्रारंभिक अनुदान	14000 रुपए							
नवीकरण अनुदान	3000 रुपए (प्रत्येक तीन वर्ष बाद देय)							

(ii)	<p>तटरक्षक अधिकारियों के लिए वर्दी भत्ते की निम्नलिखित दरों की संस्तुति की है:</p> <table border="1" data-bbox="359 265 1173 442"> <thead> <tr> <th>अनुदान</th> <th>राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रारंभिक अनुदान</td> <td>16000 रुपए</td> </tr> <tr> <td>नवीकरण अनुदान</td> <td>5000 रुपए (प्रत्येक तीन वर्ष बाद देय)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(पैरा संख्या 4.2.75)</p>	अनुदान	राशि	प्रारंभिक अनुदान	16000 रुपए	नवीकरण अनुदान	5000 रुपए (प्रत्येक तीन वर्ष बाद देय)	स्वीकृत ।
अनुदान	राशि							
प्रारंभिक अनुदान	16000 रुपए							
नवीकरण अनुदान	5000 रुपए (प्रत्येक तीन वर्ष बाद देय)							
(iii)	<p>इस समय किट रख-रखाव भत्ता ले रहे कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए इस भत्ते की मौजूदा दरों को दुगुना किया जाए । नर्सों के लिए भी वर्दी भत्ता बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह किया जाए । (पैरा संख्या 4.2.76)</p>	स्वीकृत ।						
(iv)	<p>जब भी संशोधित वेतन बैंडों पर महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा तब हर बार उपर्युक्त सभी श्रेणियों के लिए वर्दी भत्ता और किट रख-रखाव भत्तों की दरें 25 प्रतिशत बढ़ जाएंगी । (पैरा संख्या 4.2.77)</p>	स्वीकृत ।						
8	<p>विविध भत्ते आयोग ने साइकिल भत्ते, धुलाई भत्ते, रोकड़-संभाल भत्ता, विशेष भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता और स्प्लिट ड्यूटी भत्ता की मौजूदा दरों को दुगुना करने की सिफारिश की है । इसी प्रकार, विशिष्ट रूप से इस रिपोर्ट में कवर नहीं हुए विभिन्न संगठनों/विभागों/संगठनों के लिए भत्तों की दरें भी दुगुनी हो जाएंगी । संशोधित वेतनमानों पर देय महंगाई भत्ता जब भी बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा, तब हर बार इन भत्तों की दरें 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी । साथ ही, अब से मशीन भत्ता समाप्त कर दिया जाए । (पैरा संख्या 4.2.81)</p>	स्वीकृत ।						
9	<p>रखवाली (केयरटेकिंग) भत्ता आगे से रखवाली भत्ते की राशि, वेतन बैंड में वेतन और उस पर ग्रेड वेतन की औसत राशि पर, 10 प्रतिशत की दर से अदा की जाएगी । (पैरा 3.8.8)</p>	स्वीकृत ।						
10	<p>प्रशिक्षण अकादमियों एवं स्टॉफ कालेजों में प्रशिक्षण भत्ता और सत्कार भत्ता</p> <p>(i) सरकार, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए उन प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण भत्ता मूल वेतन का 30 प्रतिशत कर दिया जाए जो राष्ट्रीय समूह "क" अधिकारियों के केन्द्रीय प्रशिक्षण अकादमियों और संस्थानों में बतौर संकाय सदस्य कार्य कर रहे हैं । यह भत्ता प्रशिक्षक को उस अवधि के लिए भी दिया जाए जब वह प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों से संबंधित अध्ययन दौर पर हो । इन प्रशिक्षकों को अलग से प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा । इसे अन्य प्रशिक्षण संस्थापनाओं के लिए मौजूदा दर पर जारी रखा जा सकता है । (पैरा 6.4.6)</p>	स्वीकृत ।						

(ii)	समूह "क" अधिकारियों की इन राष्ट्रीय/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापनाओं के निदेशक अथवा प्रधान के लिए सत्कार भत्ता बढ़ाकर 3500 रुपए प्रतिमाह किया जाए तथा पाठ्यक्रम निदेशकों और काउंसलर्स को भी क्रमशः 2500 रुपए और 2000 प्रतिमाह की दर से सत्कार भत्ता दिया जाए। (पैरा संख्या 6.4.6)	स्वीकृत।
11	सावकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.)	
(i)	केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को चार वर्ष के एक ब्लॉक में तीन बार अपने परिवारों के साथ अपने गृह नगर जाने तथा चौथी बार भारत में किसी भी स्थान पर जाने की अनुमति दी जाए। यह सुविधा सरकारी अधिकारियों को पहली बार सरकारी सेवा में आने के बाद स्वीकार्य चार वर्षों के पहले दो ब्लॉकों के लिए ही मिलेगी। 4 वर्षों के ब्लॉक सरकार में ज्वाइनिंग की प्रारंभिक तारीख के संदर्भ में लागू होंगे चाहे कर्मचारी बाद में सरकार के भीतर अपनी नौकरी बदल ले। मौजूदा ब्लॉक वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन नए रंगरुटों की हकदारी सेवा के पहले आठ वर्षों अलग होगी। एल.टी.सी. के तहत यात्रा की बारम्बारता से संबंधित अन्य सभी प्रावधानों को प्रतिधारित किया जाए (पैरा संख्या 4.3.5)।	स्वीकृत।
(ii)	यात्रा संबंध पात्रता, चाहे सरकारी दौरे/ स्थानांतरण अथवा एल.टी.सी. के प्रयोजनार्थ हो, वही रहनी चाहिए लेकिन एल.टी.सी. पर यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा सरकार अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे वाहनों द्वारा निष्पादित यात्राओं के संबंध में ही स्वीकार्य होगी (पैरा संख्या 4.3.6)।	स्वीकृत।
(iii)	माता-पिता और /अथवा सौतेले माता-पिता (सौतेली माता और सौतेला पिता), जो सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों, को एल.टी.सी. के प्रयोजन हेतु परिवार की परिभाषा में इस बात पर ध्यान दिए बगैर शामिल किया जाएगा कि वे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हैं अथवा नहीं। निर्भरता की परिभाषा को सभी प्रयोजनों के लिए न्यूनतम पारिवारिक पेंशन से लिंक किया जा रहा है। तदनुसार, वे सभी माता-पिता और/अथवा सौतेले माता-पिता जिनकी सभी स्रोतों से कुल आय केन्द्र सरकार में निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन और उस पर महंगाई राहत से कम है, इस प्रयोजन हेतु परिवार की परिभाषा में शामिल होंगे। विवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त/पृथक/विधवा पुत्रियों सहित परिवार में शामिल अन्य संबंधों के संबंध में वर्तमान शर्तें बगैर किसी परिवर्तन के जारी रहेंगी (पैरा संख्या 4.3.7)।	स्वीकृत।

(iv)	हालांकि, एल.टी.सी. के साथ 10 दिन तक के अर्जित अवकाश, अधिक से अधिक कुल 60 दिन, को भुनाना जारी रखा जाए, फिर भी एल.टी.सी. का लाभ उठाते समय भुनाई गई छुट्टी सेवा-निवृत्ति के समय भुनाने-योग्य अर्जित अवकाश की अधिकतम राशि में से नहीं काटी जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के समय 300 दिन को अर्जित अवकाश को भुनाने के हकदार हो जाएंगे, उन्होंने एल.टी.सी., चाहे अपने गृह नगर के लिए लिया हो अथवा भारत में किसी भी स्थान के लिए लिया हो, लेते समय अपने कैरियर के दौरान 60 दिन तक का अर्जित अवकाश भुना सकते हैं। जहां तक रेलवे का संबंध है, कर्मचारियों को इस नकदीकरण का लाभ उठाने की अनुमति पासों का लाभ लेते समय सम्पूर्ण कैरियर में अधिकतम 60 दिन के लिए दी जानी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि लगातार नकदीकरण दो वर्ष की न्यूनतम अवधि समाप्त होने से पहले नहीं किया जा सकता (पैरा संख्या 4.3.8)।	स्वीकृत।
12	सी.पी.एम.एफ. कार्मिकों के लिए राशन मनी भत्ता सी.पी.एम.एफ. कार्मिकों के लिए राशन मनी भत्ते का भुगतान रक्षा बलों को उपलब्ध भत्ते के बराबर होना चाहिए। राशन मनी भत्ते का भुगतान सी.पी.एम.एफ. कार्मिकों की केवल उन श्रेणियों को देना जारी रखा जाए, जिनको, इस समय यह भत्ता मिल रहा है। (पैरा संख्या 7.19.37)	स्वीकृत।
13	सी.पी.एम.एफ. कार्मिकों के लिए परिवार आवास भत्ता उन सभी सी.पी.एम.एफ. कार्मिकों के लिए मकान किराया भत्ते की निम्नतम दर पर एक नया परिवार आवास भत्ता देने की शुरुआत की जाए, जो किराया मुक्त आवास/मकान किराया भत्ता अथवा सी.आई.एल.क्यू. के हकदार नहीं हैं। मूल्य सूचकांक में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होने पर इस भत्ते की दरें हर बार 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। (पैरा संख्या 7.19.42)	स्वीकृत।

अनुबंध -II

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वे सिफारिशों, जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया है।

क्रम संख्या	सिफारिश
1	वे कर्मचारी, जो 15 वर्ष से अधिक, किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा के बाद बिना पेंशन प्राप्त किए सेवा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए उदार "सेवा-विच्छेद पैकेज"।
2	अवकाश नीति, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए केवल तीन क्लोज्ड अवकाश ही अनुमत्य हों, से संबंधित सिफारिशें।
3	महिला कर्मचारियों के लिए "शिथिल घंटे" तथा अशक्त कर्मचारियों के लिए "शिथिल कार्य-सप्ताह" संबंधी सिफारिशें।

अनुबंध -IIIछठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वे सिफारिशें, जिनकी जाँच अलग से की जाएगी

क्रम संख्या	सिफारिशों का सार
1	बोनस तथा समायोपरि भत्ते से संबंधित सिफारिशें ।
2	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम से संबंधित सिफारिशें ।
3	रक्षा कार्मिकों के केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों में लेटरल-शिफ्ट से संबंधित सिफारिशें ।
4	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम की शुरुआत ।
5	भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सदस्य, सी.बी.ई.सी. तथा सदस्य, सी.बी.डी.टी. के पदों को 80,000 रुपए (नियत) के शीर्षस्थ वेतनमान पर स्तरोन्नयन ।
6	सभी लेखांकन सेवाओं का आमेलन ।
7	भारतीय रेल का निगमीकरण ।
8	भारतीय दूर-संचार सेवा तथा दूर-संचार आयोग की समाप्ति ।
9	किसी पी.एस.यू. बैंकों/संस्थानों के लिए पेंशन के संराशीकरण की प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग ।
10	निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्य अकादमी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, के पद का पूर्व-संशोधित उच्चतर ग्रेड 26,000 रुपए (नियत) में स्तरोन्नयन ।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Expenditure)****RESOLUTION**

New Delhi, the 29th August, 2008

No. 1/1/2008-I C.— The Sixth Central Pay Commission was set up by the Government of India vide Resolution No.5/2/2006-E.III(A) dated 5th October, 2006 as amended by Resolution No.5/2/2006-E.III(A) dated 7th December, 2006 (to include Members of regulatory bodies (excluding RBI) set up under Acts of Parliament) and Resolution No.5/2/2006-E.III(A) dated 8th August, 2007 (to include the officers and employees of the Supreme Court). On the 24th March, 2008, the Commission submitted its Report relating to structure of emoluments, allowances, conditions of service and retirement benefits of Central Government employees including those belonging to Union Territories, members of All India Services, personnel belonging to the Defence Forces, officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department (IA&AD) and Chairpersons/Members of Regulatory Bodies (except Reserve Bank of India). The Government have given careful consideration to the recommendations of the Commission in respect of civilian employees of the Central Government in Groups 'A', 'B', 'C' and 'D' as also those in the All India Services and Chairpersons/Members of Regulatory Bodies (except Reserve Bank of India) and have decided that the recommendations of the Commission in respect of these categories of Central Government employees, All India Services and Chairpersons/Members of Regulatory Bodies (except Reserve Bank of India) shall be accepted as a package subject to the modifications mentioned below:-

- (i) The following Pay Bands recommended by the Commission will be improved and the modified Pay Bands will be as below:

Recommended by the Commission	Decision of the Government
PB-1 Rs.4860-20200	PB-1 Rs.5200-20200
PB-2 Rs.8700-34800	PB-2 Rs.9300-34800
PB-4 Rs.39200-67000	PB-4 Rs.37400-67000

- (ii) A new pay scale of Rs.75500- (annual increment @ 3%)-80000 designated as HAG+ will be carved out of PB-4;

- (iii) The following Grade Pays recommended by the Commission will be improved and the modified Grade Pays will be as below:-

Recommended by the Commission	Decision of the Government
Grade Pay of Rs.6100 in PB-3 for the pre-revised pay scales of Rs.10000-15200 and Rs.10325-10975.	Grade Pay - Rs.6600 in PB-3
Grade Pay of Rs.6500 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.10650-15850.	Grade Pay - Rs.6600 in PB-3
Grade Pay of Rs.6600 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.12000-16500.	Grade Pay - Rs.7600 in PB-3
Grade Pay of Rs.7500 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.12750-16500.	Grade Pay - Rs.7600 in PB-3
Grade Pay of Rs.7600 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.12000-18000.	Grade Pay - Rs.7600 in PB-3
Grade Pay of Rs.7600 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.14300-18300.	Grade Pay - Rs.8700 in PB-4
Grade Pay of Rs.8300 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.15100-18300.	Grade Pay - Rs.8700 in PB-4
Grade Pay of Rs.8400 in PB-3 for the pre-revised pay scales of Rs.16400-20000 and Rs.16400-20900.	Grade Pay - Rs.8900 in PB-4
Grade Pay of Rs.9000 in PB-4 for the pre-revised pay scales of Rs.14300-22400 and Rs.18400-22400.	Grade Pay - Rs.10000 in PB-4
Grade Pay of Rs.11000 in PB-4 for the pre-revised pay scale of Rs.22400-24500.	Grade Pay - Rs.12000 in PB-4
Grade Pay of Rs.13000 in PB-4 for the pre-revised pay scales of Rs.22400-26000 and Rs.24050-26000.	A separate pay scale of Rs.75500- (annual increment @ 3%)-80000 designated as HAG+

Note 1: The edge presently accorded to the Indian Administrative Service and India Foreign Service at three grades viz., Senior Time Scale, Junior Administrative Grade and Selection Grade will continue in the form of two additional increments @ 3% each which will be adjusted in the pay band.

Note 2: Grade Pay will determine seniority of posts only within a cadre's hierarchy and not between various cadres;

- (iv) With regard to fixation of pay in the revised Pay Bands, the basic pay drawn as on 1.1.2006 on the existing Fifth CPC pay scales will be multiplied by a factor of 1.86 and then rounded off to next multiple of 10. This will be the pay in the revised running Pay Band. Grade Pay, as approved by the Government,

corresponding to the pre-revised pay scale, will then be added to the Pay in the revised Pay Band. The total of pay in the Pay Band and grade pay will be the revised Basic Pay as on 1.1.2006;

- (v) Rate of annual increments will be modified from 2.5% recommended by the Commission to 3% (three per cent) and the rate of variable increment for high achievers in PB-3 will be 4% instead of 3.5% recommended by the Commission;
- (vi) "Campus" restriction for grant of Transport Allowance will be removed. Consequently, employees living in campuses will also be eligible for Transport Allowance. Further, Transport Allowance for the employees at the lowest levels will be increased to Rs.600 (from Rs.400) in A-1/A class cities and Rs.400 (from Rs.300) in other towns;
- (vii) Three upgradations will be granted under Assured Career Progression (ACP) Scheme at 10, 20 and 30 years as per the modified ACP Scheme recommended by the Commission. ACP Scheme will also be applicable to Group A employees;
- (viii) Administrative ministries concerned will take an administrative view on the recommendation of Sixth Pay Commission relating to deputation quota for Indian Police Service officers in Central Para Military Forces (CPMFs) at the level of Deputy Inspector General (DIG) and above. The posts of Additional DIGs upgraded to the grade of DIG will, however, be continued to be manned by the cadre officers of the CPMFs;
- (ix) Empanelments and cadre reviews for Central Group A Services will be brought up-to-date in an year; and
- (x) Regarding Group 'B' cadres, the Commission's recommendations will be modified in the following manner: -
 - a) After 4 years of regular service in the entry grade of Rs.4800 in PB-2, Officers belonging to Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service and Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service will be granted the non-functional grade of Rs.5400 in PB-3 and not in PB-2;
 - b) After 4 years of regular service in the Section Officer/Private Secretary/equivalent grade of Rs.4800 grade pay in PB-2, officers of Central Secretariat Service, Central Secretariat Stenographers Service and other similarly placed HQ services will also be granted the non-functional grade of Rs.5400 in PB-3 and not in PB-2 ;

- c) In the IA&AD and all organized accounts cadres, posts of Section Officers and Assistant Audit/Accounts Officers will be merged and placed in PB-2 with grade pay of Rs.4800 as recommended by the Commission. In modification of Sixth CPC's recommendations, Audit/Accounts Officers (AOs) will be placed in PB-2 with grade pay of Rs.5400 and Senior AOs will be placed in PB-3 with grade pay of Rs.5400;
- d) Group B officers of Ministry of Railways in the pre-revised scale of Rs. 8000-13500 will be granted Grade Pay of Rs.5400 in PB-3 instead of PB-2.
- e) Group B officers of Departments of Posts, Revenue, etc. will be granted Grade Pay of Rs.5400 in PB-2 on non-functional basis after 4 years of regular service in the grade pay of Rs.4800 in PB-2.

2. The Commission's recommendations and Government decision thereon with regard to revised scales of pay and dearness allowance for civilian employees of the Central Government and personnel of All India Services as detailed in the Part-A of the Annex-I will be made effective from 1st day of January, 2006.

3. The revised allowances, other than dearness allowance, will be effective from 1st day of September, 2008.

4. The Commission's recommendation regarding payment of arrears has been modified to the extent that the arrears will be paid in cash in two instalments - first instalment of 40% during the current financial year (2008-09) and the remaining 60% in the next financial year (2009-10).

5. The Government has agreed to refer the recommendations of the Commission in regard to pay scales of Master Craftsmen in the Ministry of Railways to a Fast Track Committee to be constituted by the Government. In the meantime, normal replacement scales will apply in the case of Master Craftsmen.

6. The Government has approved setting up of Anomalies Committees to examine individual, post-specific and cadre-specific anomalies. The Anomalies Committees should endeavour to complete their work in one year.

7. Department specific recommendations which are not included in this Resolution shall be processed by the concerned Department/Ministry and approvals of the Government obtained in consultation with the Ministry of Finance and/or Department of Personnel and Training.

8. The Commission's recommendations regarding higher pay package of Rs.2.5 lakh and Rs.3 lakh p.m. (without house and car) for Chairpersons and full-time Members of five specified Regulatory Bodies, viz., Telecom

Regulatory Authority of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Central Electricity Regulatory Commission, Securities and Exchange Board of India and the Competition Commission of India have been accepted by the Government. However, the existing incumbents in the specified Regulatory Bodies will be offered an option to retain their present pay and allowances together with car and house or to choose the higher pay package without house and car. For Chairpersons and Members of all other Regulatory Bodies, the normal replacement scales will apply.

9. The Government has granted "in principle" approval to a scheme of allowances for CPMF officers of the rank of Commandant and below, and other ranks in the battalions deployed in difficult areas/counter-insurgency areas and in high altitude areas, keeping in view the allowances granted to Defence Forces personnel in such, or similar, areas and the Detachment and other allowances granted to the CPMF personnel at present, to be worked out in consultation with Department of Expenditure.

10. The Government has decided that the practice of provision of Suraksha Sahayaks to officers in CPMFs will be discontinued with effect from a date to be fixed. Meanwhile, absolutely necessary posts may be created on the basis of functional justification alone. The decision regarding Suraksha Sahayaks will also apply to similarly placed categories in other Departments.

11. The Government has accepted the suggestion from the Departments of Space and Atomic Energy and Defence Research & Development Organisation (DRDO) for granting variable increments to really deserving Scientists at the time of promotions. Details will be worked out in consultation with Ministry of Finance. The Government has also decided to continue the existing system of grant of Rs.2000 Special Pay to Scientists G on promotion and doubling of the amount to Rs.4000 p.m. in Departments of Space and Atomic Energy and DRDO and the continuation of the existing practice of grant of two additional increments to Scientists from Level C to F in these departments.

12. The Dynamic ACP Scheme for Doctors will be extended upto the Senior Administrative Grade (grade pay of Rs.10000 in PB-4) for Medical Doctors having 20 years of regular service, or seven years of regular service in the non-functional selection grade of Rs.8700 grade pay in PB-4. Also, all the Medical Doctors, whether belonging to Organized Services, or holding isolated posts, will be covered by the DACP Scheme.

13. The decision of the Government on the recommendations of the Commission relating to other matters in respect of Civilian employees of the Central Government belonging to Groups 'A', 'B', 'C' and 'D' are indicated in Column 3 of Part-B of the statement annexed to this Resolution. In regard to the All India Services, appropriate action will be taken by Department of Personnel & Training to give effect to the decisions on these matters as may be applicable to them.

14. The recommendations made by the Commission which have not been accepted are placed at Annex-II.
15. The Government have decided that certain recommendations made by the Commission will be examined separately and decisions thereon will be notified later. A list of such recommendations is placed at Annex-III.
16. The decision taken on the other recommendations of general nature made by the Commission which are not included in the Annexures will be notified separately.
17. The Government of India wish to place on record their appreciation of the work done by the Commission.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories and all other concerned.

SUSHAMA NATH, Secy.

ANNEX-I

PART - A

Statement showing the recommendations of the Sixth Central Pay Commission on Pay and Dearness Allowance relating to Civilian employees in Group A, B, C and D and personnel of All India Services and Government's decisions thereon. (References to chapters and paragraphs in the Statement are to the Pay Commission's Report).

1. PAY

I. Revised Scales of Pay

- (i) A statement showing the recommendations of Sixth Pay Commission on the Pay Structure of Civilian employees in Groups A, B, C and D and personnel of All India Services and Government's decisions thereon.

(in Rs.)

Present Scale			Revised Pay Scales recommended by the Sixth Central Pay Commission			Revised Pay Structure		
Sl. No.	Pay Scale	Pay Scale	Pay Band	Corresponding Pay Bands	Grade Pay	Pay Band	Corresponding Pay Bands	Grade Pay
1	S-1	2550-55-2660-60-3200	-1S	4440-7440	1300	-1S	4440-7440	1300
2	S-2	2610-60-3150-65-3540	-1S	4440-7440	1400	-1S	4440-7440	1400
3	S-2A	2610-60-2910-65-3300-70-4000	-1S	4440-7440	1600	-1S	4440-7440	1600
4	S-3	2650-65-3300-70-4000	-1S	4440-7440	1650	-1S	4440-7440	1650
5	S-4	2750-70-3800-75-4400	PB-1	4860-20200	1800	PB-1	5200-20200	1800
6	S-5	3050-75-3950-80-4590	PB-1	4860-20200	1900	PB-1	5200-20200	1900
7	S-6	3200-85-4900	PB-1	4860-20200	2000	PB-1	5200-20200	2000
8	S-7	4000-100-6000	PB-1	4860-20200	2400	PB-1	5200-20200	2400
9	S-8	4500-125-7000	PB-1	4860-20200	2800	PB-1	5200-20200	2800
10	S-9	5000-150-8000	PB-2	8700-34800	4200	PB-2	9300-34800	4200
11	S-10	5500-175-9000	PB-2	8700-34800	4200	PB-2	9300-34800	4200
12	S-11	6500-200-6900	PB-2	8700-34800	4200	PB-2	9300-34800	4200
13	S-12	6500-200-10500	PB-2	8700-34800	4200	PB-2	9300-34800	4200
14	S-13	7450-225-11500	PB-2	8700-34800	4600	PB-2	9300-34800	4600
15	S-14	7500-250-12000	PB-2	8700-34800	4800	PB-2	9300-34800	4800
16	S-15	8000-275-13500	PB-2	8700-34800	5400	PB-2	9300-34800	5400

Present Scale			Revised Pay Scales recommended by the Sixth Central Pay Commission			Revised Pay Structure		
Sl. No.	Pay Scale	Pay Scale	Pay Band	Corresponding Pay Bands	Grade Pay	Pay Band	Corresponding Pay Bands	Grade Pay
17	New Scale	8000-275-13500 (Group A Entry)	PB-3	15600-39100	5400	PB-3	15600-39100	5400
18	S-16	9000	PB-3	15600-39100	5400	PB-3	15600-39100	5400
19	S-17	9000-275-9550	PB-3	15600-39100	5400	PB-3	15600-39100	5400
20	S-18	10325-325-10975	PB-3	15600-39100	6100	PB-3	15600-39100	6600
21	S-19	10000-325-15200	PB-3	15600-39100	6100	PB-3	15600-39100	6600
22	S-20	10650-325-15850	PB-3	15600-39100	6500	PB-3	15600-39100	6600
23	S-21	12000-375-16500	PB-3	15600-39100	6600	PB-3	15600-39100	7600
24	S-22	12750-375-16500	PB-3	15600-39100	7500	PB-3	15600-39100	7600
25	S-23	12000-375-18000	PB-3	15600-39100	7600	PB-3	15600-39100	7600
26	S-24	14300-400-18300	PB-3	15600-39100	7600	PB-4	37400-67000	8700
27	S-25	15100-400-18300	PB-3	15600-39100	8300	PB-4	37400-67000	8700
28	S-26	16400-450-20000	PB-3	15600-39100	8400	PB-4	37400-67000	8900
29	S-27	16400-450-20900	PB-3	15600-39100	8400	PB-4	37400-67000	8900
30	S-28	14300-450-22400	PB-4	39200-67000	9000	PB-4	37400-67000	10000
31	S-29	18400-500-22400	PB-4	39200-67000	9000	PB-4	37400-67000	10000
32	S-30	22400-525-24500	PB-4	39200-67000	11000	PB-4	37400-67000	12000
33	S-31	22400-600-26000	PB-4	39200-67000	13000	HAG + Scale	Rs.75500- (annual increment @ 3%)-80000	Nil
34	S-32	24050-650-26000	PB-4	39200-67000	13000	HAG + Scale	Rs.75500- (annual increment @ 3%)-80000	Nil
35	S-33	26000 (Fixed)	Apex Scale	80000 (Fixed)	Nil	Apex Scale	80000 (Fixed)	Nil
36	S-34	30000 (Fixed)	Cab. Sec.	90000 (Fixed)	Nil	Cab. Sec.	90000 (Fixed)	Nil

(II) Pay scales of All India Services

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government
(i)	<p>Indian Administrative Service*</p> <p>Grade Pay Rs.5400 in PB-3 (Rs.15600-39100) for the pre-revised pay scale of Rs.8000-13500.</p> <p>Grade Pay Rs.6500 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.10650-15850.</p> <p>Grade Pay Rs.7500 in PB-3 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.12750-16500.</p> <p>Grade Pay Rs.8300 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.15100-18300.</p> <p>Grade Pay Rs.9000 in PB-4 for the pre-revised pay scale of Rs.18400-22400.</p> <p>Grade Pay Rs.11000 in PB-4 for the pre-revised pay scale of Rs.22400-24500.</p> <p>Apex Scale of Rs.80000 (fixed)</p>	<p>Accepted</p> <p>Grade Pay modified to Rs.6600. Two additional increments to be granted at the time of promotion to this grade.</p> <p>Grade Pay modified to Rs.7600. Two additional increments to be granted at the time of promotion to this grade.</p> <p>Grade Pay modified to Rs.8700 and placed in PB-4. PB-4 modified to Rs.37400-67000. Two additional increments to be granted at the time of promotion to this grade.</p> <p>Grade Pay modified to Rs.10000. Government to restore the eligibility for promotion to Super Time Scale of the IAS to 16 years, which was reduced to 14 years in January 2008.</p> <p>Grade Pay modified to Rs.12000</p> <p>Accepted</p> <p>Relevant orders shall be issued by the cadre controlling authority.</p>
	*The pay structure for the IAS will also be applicable to the Indian Foreign Service.	
(ii)	<p>Indian Police Service</p> <p>Grade Pay Rs.5400 in PB-3 (Rs.15600-39100) for the pre-revised pay scale of Rs.8000-</p>	<p>Accepted.</p>

	<p>13500.</p> <p>Grade Pay Rs.6100 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.10000-15200.</p> <p>Grade Pay Rs.6600 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.12000-16500.</p> <p>Grade Pay Rs.7600 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.14300-18300.</p> <p>Grade Pay Rs.8400 in PB-3 for the pre-revised pay scales of Rs.16400-20000.</p> <p>Grade Pay Rs.9000 in PB-4 for the pre-revised pay scale of Rs.18400-22400.</p> <p>Grade Pay Rs.11000 in PB-4 for the pre-revised pay scale of Rs.22400-24500.</p> <p>Grade Pay of Rs.13000 in PB-4 for the pre-revised pay scale of Rs.24050-26000.</p> <p>Apex Scale of Rs.80000 (fixed)</p> <p>Posts of Directors General Sashastra Seema Bal and Indo-Tibetan Border Police may be upgraded to the apex scale.</p>	<p>Grade Pay modified to Rs.6600.</p> <p>Grade Pay modified to Rs.7600.</p> <p>Grade Pay modified to Rs.8700 and placed in PB-4. PB-4 modified to Rs.37400-67000.</p> <p>Grade Pay modified to Rs.8900 and placed in PB-4.</p> <p>Grade Pay modified to Rs.10000</p> <p>Grade Pay modified to Rs.12000. Eligibility for promotion to Super Time Scale of the IPS continue to be 18 years.</p> <p>A new pay scale of Rs.75500- (annual increment @ 3%)-80000 designated as HAG+ carved out of PB-4</p> <p>Indian Police Service Pay Rules will be appropriately modified to provide in each State cadre one post of Director General of Police as head of the police force in the apex scale of Rs.80,000.</p> <p>Accepted.</p> <p>Relevant orders shall be issued by the cadre controlling authority.</p>
(iii)	Indian Forest Service	
	Grade Pay Rs.5400 in PB-3 (Rs.15600-39100) for the pre-	Accepted

revised pay scale of Rs.8000-13500. Grade Pay Rs.6100 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.10000-15200.	Grade Pay modified to Rs.6600.
Grade Pay Rs.6600 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.12000-16500.	Grade Pay modified to Rs.7600.
Grade Pay Rs.7600 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.14300-18300.	Grade Pay modified to Rs.8700 and placed in PB-4. PB-4 modified to Rs.37400-67000.
Grade Pay Rs.8400 in PB-3 for the pre-revised pay scales of Rs.16400-20000.	Grade Pay modified to Rs.8900 and placed in PB-4.
Grade Pay Rs.9000 in PB-4 for the pre-revised pay scale of Rs.18400-22400.	Grade Pay modified to Rs.10000
Grade Pay Rs.11000 in PB-4 for the pre-revised pay scale of Rs.22400-24500.	Grade Pay modified to Rs.12000
Grade Pay of Rs.13000 in PB-4 for the pre-revised pay scale of Rs.24050-26000.	A new pay scale of Rs.75500- (annual increment @ 3%)-80000 designated as HAG+ carved out of PB-4.
Apex Scale of Rs.80000 (fixed)	Indian Forest Service Pay Rules will be appropriately modified to provide in each State cadre one post of Principal Chief Conservator of Forests as head of the forest service in the apex scale of Rs.80,000. Relevant orders shall be issued by the cadre controlling authority.

(III) Pay scales of Central Services Group 'A'

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government
(i)	Central Services Group 'A' Grade Pay Rs.5400 in PB-3 (Rs.15600-39100) for the pre-revised pay scale of Rs.8000-	Accepted

<p>13500.</p> <p>Grade Pay Rs.6100 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.10000-15200.</p> <p>Grade Pay Rs.6600 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.12000-16500.</p> <p>Grade Pay Rs.7600 in PB-3 for the pre-revised pay scale of Rs.14300-18300.</p> <p>Grade Pay Rs.9000 in PB-4 for the pre-revised pay scale of Rs.18400-22400.</p> <p>Grade Pay Rs.11000 in PB-4 for the pre-revised pay scale of Rs.22400-24500.</p> <p>Grade Pay of Rs.13000 in PB-4 for the pre-revised pay scales of Rs.22400-26000 and Rs.24050-26000.</p> <p>Apex Scale of Rs.80000 (fixed)</p> <p>Whenever any IAS officer of a particular batch is posted in the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in pay bands PB-3 or PB-4, grant of higher pay scale on non-functional basis to the officers belonging to batches of organised Group A services that are senior by two years or more should be given by the Government.</p> <p>Eligibility criteria prescribed for promotion to Senior Administrative Grade in various organized Group A services should be uniform.</p>	<p>Grade Pay modified to Rs.6600.</p> <p>Grade Pay modified to Rs.7600.</p> <p>Grade Pay modified to Rs.8700 and placed in PB-4. PB-4 modified to Rs.37400-67000.</p> <p>Grade Pay modified to Rs.10000</p> <p>Grade Pay modified to Rs.12000</p> <p>A new pay scale of Rs.75500- (annual increment @ 3%)-80000 designated as HAG+ carved out of PB-4</p> <p>Accepted</p> <p>Accepted. This will also be applicable to the Indian Police Service and the Indian Forest Service in their respective State cadres for which the relevant cadre controlling authorities will issue the orders.</p> <p>Accepted</p>
---	---

(IV) Pay and allowances of Chairpersons and full-time Members of Regulatory Bodies

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government
(i)	Normal replacement pay bands and grade pay recommended to be granted in general to the existing Members of regulatory bodies. Rates of allowances presently admissible to be revised on par with those recommended for corresponding categories of Government employees. (Para No. 8.1.7)	Accepted
(ii)	The pay and allowances of Chairman and full-time Members of five specified Regulatory Bodies, viz., Telecom Regulatory Authority of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Central Electricity Regulatory Commission, Securities and Exchange Board of India and the Competition Commission of India to be de-linked from Government salaries and those appointed as Members through the revised process should be paid a consolidated salary of Rs.1,50,000 p.m., while the Chairperson may be paid Rs.2,00,000 p.m. in case a car and house are provided. In case no car and house is given, the Chairperson should be paid a consolidated salary of Rs.3,00,000 p.m. and Members Rs.2,50,000. (Para No. 8.1.7)	The Commission's recommendations regarding higher pay package of Rs.2.5 lakh and Rs.3 lakh p.m. (without house and car) for Chairpersons and full-time Members of the five specified Regulatory Bodies accepted. However, the existing incumbents in these Regulatory Bodies will be offered an option to retain their present pay and allowances together with car and house or to choose the higher pay package without house and car.

(V) Formula for fixation of pay in the revised pay structure of Pay Bands and Grade Pays

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government
(i)	The pay of employees may be fixed in the proposed scales of pay in the manner laid down in Para 2.2.21(i) to (v) of the Report.	<p>Accepted with the following modifications:</p> <p>(a) Fixation of pay in the revised Pay Bands will be done by multiplying the basic pay drawn as on 1/1/2006 on the existing Fifth CPC pay scales by a factor of 1.86 and then rounded off to next multiple of 10 and not by a factor of 1.74 as recommended by the Commission.</p> <p>(b) In the case of Medical Doctors, Dearness Allowance on the Non Practising Allowance will be taken into account while fixing their pay in the revised Pay Bands.</p>
(ii)	<p>a) Though -1S pay scale is not a regular pay scale, initially all Group D employees shall be placed in the -1S pay scale with appropriate grade pay. This pay scale has been devised mainly for the purpose of initial fixation of pay of the Group D employees who had already been recruited on a regular basis as on the date of implementation of this recommendation by the Government.</p> <p>b) Thereafter, such of those Group D employees as already possess the revised minimum qualifications prescribed for entry into the Group C pay band along with a grade pay of Rs.1800 would be placed in that grade (i.e. pay band of Rs.4860-20200 along with a grade pay of Rs.1800) with effect from 1.1.2006.</p>	<p>Accepted</p> <p>Accepted with the modification that PB-1 will be Rs.5200-20200.</p>

<p>c) Such of those existing Group D employees who do not possess the minimum qualifications prescribed would need to be retrained and a training package would need to be evolved separately for each of the individual Ministry/Department/Organisation keeping in view their specific needs. After re-training with emphasis on multi-skilling, the Group D staff will be placed in the Pay Band PB-1 of Rs.4860-20200 with the grade pay of Rs.1800. Once placed in the PB-1 Pay Band, this category of Group D staff will regain their seniority vis-à-vis the other category of Group D staff that already possessed the minimum prescribed qualifications and were, therefore, placed in the PB-1 Pay Band immediately.</p>	<p>Accepted with the modification that PB-1 will be Rs.5200-20200.</p>
<p>f) Inter-se seniority of all the employees in erstwhile Group D will be fully maintained with Group D employee in a higher Fifth CPC pay scale being placed higher vis-à-vis an employee in a lower pay scale. Within the same pre-revised pay scale, the seniority will be fixed on the basis of date on which the person came to be placed in that pay scale.</p>	<p>Accepted</p>
<p>g) Arrears shall be payable with effect from 1.1.2006 in both the cases: to those Group D employees who possess the prescribed qualifications and those Group D employees who do not possess the prescribed qualifications. Retraining of the latter should preferably be completed within a short period, say 6 months, so that fixation in pay band PB-I and payment arrears of salary is not unduly delayed.</p>	<p>Accepted</p>

(VI) Date of effect

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government
(i)	The revised structure of pay bands and grade pay to be implemented from 1/1/2006. (Para 6.5.2)	Accepted

(VII) Annual Increments

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government
(i)	Rate of Annual Increment: All the running pay bands will have annual increments in form of two and half percent of the total of pay in the pay band and the corresponding grade pay. (Para 2.2.11)	Modified to 3% from 2.5% recommended by the Commission.
(ii)	For Group A Pay Band PB-3, annual increments in the band will vary depending upon the performance. Not less than eighty percent of the employees in the grade will be allowed normal increment at the rate of 2.5% with the remaining 20% high performers during the year being allowed increment at the higher rate of 3.5%. (Para 2.2.12)	The rate of variable increment for high achievers in PB-3 increased to 4% from 3.5% recommended by the Commission.
(iii)	Date of Annual Increments: The date of annual increments, in all cases, to be 1 st July. Employees completing six months and above in the scale as on July 1 to be eligible. (Para 2.2.11)	Accepted

(VIII) Payment of Arrears

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government
(i)	The Government may pay the arrears in two equal instalments in different years. (Para 10.1.15)	Accepted with the modification that the arrears will be paid in cash in two instalments - first instalment of 40% during the current financial year (2008-09) and the remaining 60% in the next financial year (2009-10).

2. Compensation for price rise (Dearness Allowance)

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government
(i)	The Government should keep revising the base year in the existing fixed base index method as frequently as feasible. (Para 4.1.10)	Accepted
(ii)	National Statistical Commission to be asked to explore the possibility of a specific survey covering Government employees exclusively, so as to construct a consumption basket representative of Government employees and formulate a separate index. Meanwhile, the Government may continue to use the AICPI (IW) for estimating the DA, subject to the modifications proposed in the subsequent paras. (Para 4.1.13)	Accepted
(iii)	AICPI (IW) with base 2001 may, henceforth, be used for the purpose of calculating DA till it gets revised. The reference base for calculation of Dearness Allowance with effect from 1.1.2006 will be the 12 monthly average index of 536 as per AICPI (IW), 1982 series. This, when converted to 2001 series, using the linking factor of 4.63, works out to 116. (Para 4.1.14)	Accepted. The base using the 2001 series works out to be 115.76. Note: The instalment of Dearness Allowance sanctioned from 1.1.2006 onwards will be adjusted against the DA payable under revised formula/arrears on account of revision of pay scales.
(iv)	Government to take expeditious steps to rectify distortions in the construction of the current AICPI (IW) series. The National Statistical Commission may also take these factors into consideration while evolving a separate index for Government employees. (Para 4.1.14)	Accepted
(v)	Merger of dearness allowance with basic pay at any stage not recommended. (Para 4.1.18)	Accepted.
(vi)	DA may continue to be sanctioned twice a year as on 1 st	Accepted.

	January and 1 st July payable with the salary of March and September respectively for administrative convenience with inflation neutralization being maintained at 100% at all levels. (Para 4.1.19)	
--	---	--

3. Non-Practising Allowance

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government
(i)	Doctors should continue to be paid NPA at the existing rate of 25% of the aggregate of the band pay and grade pay subject to the condition that the Basic Pay + NPA does not exceed Rs.85,000. The facility of NPA cannot be extended to any other category. NPA should be restricted only to the medical Doctors occupying posts for which minimum qualifications of a medical degree is prescribed. (Para 4.2.53)	Accepted.

4. Assured Career Progression Scheme

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government
1.	The Commission has recommended that the existing scheme of Assured Career Progression may be continued with two financial upgradations being allowed as at present with the following modifications:- i) The scheme will also be available to all posts belonging to Group A - whether isolated or not. Organised Group A services will, however, not be covered under the scheme. ii) Benefit of pay fixation available at the time of normal promotion shall be allowed at the time of financial upgradations	Accepted with the modification that there will be three upgradations under the ACP Scheme after 10, 20 and 30 years of service. Accepted. Accepted with the modification that the rate of increment will be 3%.

<p>under the scheme. Thus, an increase of 2.5% of pay and grade pay shall be available as financial upgradation under the scheme.</p> <p>iii) The grade pay shall change at the time of financial upgradation under this scheme. The grade pay given at the time of financial upgradation under ACPS will be the immediate next higher grade pay in the hierarchy of revised pay bands and grade pay being recommended. Thus, grade pay at the time of financial upgradation under ACPS can, in certain cases where regular promotion is not between two successive grades, be different than what is available at the time of regular promotion. In such cases, the higher grade pay attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/ organization will be given only at the time of regular promotion.</p> <p>iv) Financial upgradation under the scheme will be available whenever a person has spent 12 years continuously in the same grade. However, not more than two financial upgradations shall be given in the entire career as was provided in the extant scheme.</p> <p>The scheme with aforesaid modifications shall be called modified ACPS and will ensure suitable progression uniformly to all the employees in Central Government. (Para No. 6.1.15)</p>	<p>Accepted.</p> <p>Modified to the extent that the financial upgradation will be available whenever a person has spent 10 years continuously in the same grade. Further, three upgradations after 10, 20 and 30 years of service will be allowed.</p>
---	--

5. Performance Related Incentive Scheme

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government
(i)	<p>The Commission has recommended introduction of a new performance based pecuniary benefit, over and above the regular salary, for the Government employees. The benefit will be called Performance Related Incentive Scheme (PRIS) and will be payable taking into account the performance of the employee during the period under consideration. It is based on the principle of differential reward for differential performance. (Para No.2.5.8)</p>	<p>Accepted. Detailed guidelines will be issued by the nodal Ministry.</p> <p>Department of Science & Technology will work out a PRIS scheme for scientists.</p>

PART - B

Statement showing the recommendations of the Sixth Central Pay Commission on other Allowances relating to Civilian employees in Groups A, B, C and D and Government's decision thereon. (References to Chapters and Paragraphs in the Statement are to the Pay Commission's Report).

Sl. No.	Recommendations of the Sixth Pay Commission	Decision of the Government															
1.	City Compensatory Allowance City Compensatory Allowance may be abolished. (Para 4.2.8)	Accepted															
2.	Other Compensatory Allowances																
(i)	Rates of Special Compensatory (Hill Area/Remote Locality), Tribal Area Allowance, Project Allowance and Bad Climate Allowance may be revised as under : Special Compensatory (Hill Area) Allowance/Bad Climate Allowance/Tribal Area Allowance	Accepted															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Bad climate/Tribal Area allowance</th> <th>Special Compensatory (Hill Area) Allowance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>For posts in the grade pay of Rs.5400 and above</td> <td>Rs.400 p.m.</td> <td>Rs.600 p.m.</td> </tr> <tr> <td>For other posts</td> <td>Rs.240 p.m.</td> <td>Rs.480 p.m.</td> </tr> </tbody> </table>	Category	Bad climate/Tribal Area allowance	Special Compensatory (Hill Area) Allowance	For posts in the grade pay of Rs.5400 and above	Rs.400 p.m.	Rs.600 p.m.	For other posts	Rs.240 p.m.	Rs.480 p.m.							
Category	Bad climate/Tribal Area allowance	Special Compensatory (Hill Area) Allowance															
For posts in the grade pay of Rs.5400 and above	Rs.400 p.m.	Rs.600 p.m.															
For other posts	Rs.240 p.m.	Rs.480 p.m.															
	(Para No.4.2.24.1)																
(ii)	Special Compensatory (Remote Locality) Allowance	Accepted															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Part A (Rs. p.m.)</th> <th>Part B (Rs. p.m.)</th> <th>Part C (Rs. p.m.)</th> <th>Part D (Rs. p.m.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>For posts in the grade pay of Rs.5400 and above</td> <td>2600</td> <td>2100</td> <td>1500</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>For posts in the grade pay of less than Rs.5400</td> <td>2000</td> <td>1600</td> <td>1200</td> <td>320</td> </tr> </tbody> </table>	Category	Part A (Rs. p.m.)	Part B (Rs. p.m.)	Part C (Rs. p.m.)	Part D (Rs. p.m.)	For posts in the grade pay of Rs.5400 and above	2600	2100	1500	400	For posts in the grade pay of less than Rs.5400	2000	1600	1200	320	
Category	Part A (Rs. p.m.)	Part B (Rs. p.m.)	Part C (Rs. p.m.)	Part D (Rs. p.m.)													
For posts in the grade pay of Rs.5400 and above	2600	2100	1500	400													
For posts in the grade pay of less than Rs.5400	2000	1600	1200	320													
	(Para No.4.2.24.2)																

(iii)	Project Allowance	Accepted						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Project allowance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>For posts in the grade pay of Rs.5400 and above</td> <td>Rs.1500 p.m.</td> </tr> <tr> <td>For posts in the grade pay of less than Rs.5400</td> <td>Rs.1000 p.m.</td> </tr> </tbody> </table>	Category	Project allowance	For posts in the grade pay of Rs.5400 and above	Rs.1500 p.m.	For posts in the grade pay of less than Rs.5400	Rs.1000 p.m.	
Category	Project allowance							
For posts in the grade pay of Rs.5400 and above	Rs.1500 p.m.							
For posts in the grade pay of less than Rs.5400	Rs.1000 p.m.							
	(Para No.4.2.24.3)							
(iv)	The rates of all the above allowances shall automatically increase by 25% whenever the Dearness Allowance payable on the revised pay bands goes up by 50%. (Para No.4.2.24.4)	Accepted						
(v)	Special Compensatory Allowance for Gandhinagar and Special Compensatory (Border Area) Allowance may be abolished. (Para No.4.2.24.5)	Accepted						
(vi)	Special (Duty) Allowance for postings to North East Regions should be paid to all Central Government employees at the existing rates on their posting on transfer to any North East Region irrespective of whether the transfer is from outside the North East Region or from another area of that region. The condition that the employees have all India transfer liability should also be dispensed with. No increase in the rate of this allowance is being recommended as the allowance is paid as a percentage of the pay. The Commission has recommended that the Special (Duty) Allowance as well as other concessions allowed to the Government employees in North East region should also be extended to the Government employees posted in Ladakh. (Para No. 4.2.25)	Accepted						
(vi)	No change is recommended in respect of Island Special (Duty) allowance. This allowance may, henceforth, also be paid to all Central Government employees on their posting on transfer to any place in these Islands without insisting on an all India transfer liability. (Para No. 4.2.26)	Accepted						
(v)	Hard Area Allowance to the employees posted in the Nicobar group of Islands may be paid separately along with Island Special (Duty) Allowance. Further, this allowance may also be extended to the Lakshadweep group of islands. (Para No. 4.2.26)	Accepted. Will be extended to similarly classified Islands in Lakshadweep.						

3. Transport Allowance

The Commission has recommended the following rates for Transport Allowance:

Employees drawing grade pay of (Rs.)	Rate of Transport Allowance per month	
	A-1/A Class City (Rs.)	Other Places (Rs.)
5400 & above and posts in the apex scale and Cabinet Secy./equivalent	Rs.3200 + DA thereon	Rs.1600 + DA thereon
4200 to 4800*	Rs.1600 + DA thereon	Rs.800 + DA thereon
Below 4200	Rs.400 + DA thereon	Rs.300 + DA thereon

*and Group B, C and D employees/personnel below officer rank drawing pre-revised basic pay of Rs.4000 and above. (Para No. 4.2.43)

The existing condition which prohibits grant of Transport Allowance to the employees who have been provided with official accommodation within one Kilometer of the office should to be removed. Other conditions regulating the grant of this allowance shall remain unchanged. Physically disabled employees to continue drawing this allowance at double the normal rates. However, Transport Allowance in the case of physically disabled employees shall, in no case, be less than Rs.1000 per month plus the applicable rate of dearness allowance. Employees in pay band PB-4 who are entitled to the use of official car for travel between residence and office may be given the option to draw transport allowance at a higher rate of Rs.7000 p.m. plus dearness allowance provided they give up the use of official car for travel between residence and office. (Para No. 4.2.44)

Accepted with the modification that "Campus" restriction for grant of Transport Allowance will be removed.

Consequently, employees living in campuses will also be eligible for Transport Allowance. Also, Transport Allowance for the employees at the lowest levels will be increased to Rs.600 (from Rs.400) in A-1/A class cities and Rs.400 (from Rs.300) in other towns;

Further, employees in PB-1 with Rs.7440 (corresponding to Rs.4000 basic in pre-revised pay scales) and above as pay in the pay band will be eligible for grant of Transport Allowance at the rate of Rs.1600/Rs.800.

4.	House Rent Allowance		
(i)	The Commission has recommended merger of C Class Cities (having population of 50,000 to 5 lakh) with 'Unclassified Towns' (having population of less than 50,000).		Accepted
(ii)	The Commission has recommended that the existing population criterion for classifying towns and cities for purposes of HRA may be retained. However, population in the urban agglomeration should be taken into account for classifying a city for purposes of HRA.		Accepted
(iii)	The Commission has recommended retention of the existing rate of HRA in A-1 cities to be paid at the rate of 30% of the total of revised pay in the running pay band and grade pay thereon.		Accepted
(iv)	The Commission has recommended that the erstwhile A, B-1 and B-2 categories may be merged and C & Unclassified categories may also be merged. The following rates of House Rent Allowance are accordingly recommended:		Accepted
	Revised classification of Cities and Towns on Population Criteria	Revised Classification of Cities/Towns	Rates of HRA as a percentage of Pay in the pay band + Grade Pay + MSP* + NPA*
	50 lakhs & above	X (Earlier classified as A-1)	30
	50 - 5 lakhs	Y (Earlier classified as A, B-1 & B-2)	20
	Below 5 lakhs	Z (Earlier classified as C and Unclassified)	10
	* where applicable		(Para No. 4.2.59)

5.	<p>Children Education Allowance</p> <p>Children Education Allowance and Reimbursement of Tuition Fee may be merged and it will henceforth be reimbursement upto the maximum of Rs.1000 per child per month subject to a maximum of 2 children. Hostel subsidy may be reimbursed upto the maximum limit of Rs.3000 per month per child. The limits would be automatically raised by 25% every time the Dearness Allowance on the revised pay bands goes up by 50%. (Para No. 4.2.64)</p>	Accepted
6.	<p>Risk Allowance</p> <p>(i) The Commission, accordingly, recommends withdrawal of Risk Allowance. All categories of jobs that involve inherent element of risk with deleterious effect on health over a period of time should instead be provided with free medical and life insurance of Rs.5 lakhs for employees in PB-1 pay band; Rs.7 lakhs for employees in PB-2 pay band; Rs.10 lakhs for employees in PB-3 pay band/higher pay bands/scales. To offset the effect of inflation, amount of the insurance should automatically be increased by 50% every time the DA payable on the revised pay goes up by 50%. The entire expenditure on paying premium for this insurance will be borne by the Government. The amount insured will be paid in case of any serious injury/death sustained in the course of employment and will be over and above the other benefits available to all categories of Government employees. These employees should also be provided with additional health benefits with mandatory health check-ups every quarter and enhanced leave, wherever the same is necessary for proper recuperation. Further, the Government should ensure that latest technology and greatest level of care is observed in these jobs so that the element of risk involved therein is minimized. (Para No. 4.2.68)</p> <p>(ii) Hospital Patient Care Allowance/Patient Care Allowance</p> <p>The Commission has separately recommended extension of adequate insurance cover to all such categories of employees who face an element of risk</p>	<p>Introduction of Risk Insurance Scheme w.e.f. 1.4.2009 after consultation with Staff Side and continuation of Risk Allowance till March 31, 2009.</p> <p>Introduction of Risk Insurance Scheme w.e.f. 1.4.2009 after consultation with Staff Side and continuation of</p>

	<p>in discharge of their official functions. This insurance cover should be extended to all the categories that are presently in receipt of HPCA/PCA. Simultaneously, HPCA/PCA should be withdrawn as no rationale would exist for these allowances once the element of risk is covered by grant of an appropriate insurance cover. The loss incurred by the employees on this account would be more than compensated in respect of existing Group D employees who will be upgraded to Group C. This loss, for Group C employees, should be compensated in form of Performance Related Incentive Scheme. (Para No. 3.6.18)</p>	<p>HPCA/ PCA till March 31, 2009..</p>												
<p>7. Uniform Related Allowances</p>	<p>(i) Following rates of Uniform Allowance are recommended by the Commission for personnel and officers in CPMFs/CPOs/RPF/IPS: -</p> <table border="1" data-bbox="319 981 944 1187"> <thead> <tr> <th>Grant</th> <th>Rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Initial grant</td> <td>Rs.14000</td> </tr> <tr> <td>Renewal grant</td> <td>Rs.3000 (payable after every three years)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Para No. 4.2.73 and 74)</p> <p>(ii) Following rates of uniform allowance are recommended for Coast Guard officers:-</p> <table border="1" data-bbox="312 1384 954 1585"> <thead> <tr> <th>Grant</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Initial grant</td> <td>Rs.16000</td> </tr> <tr> <td>Renewal grant</td> <td>Rs.5000 (payable after every three years)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Para No. 4.2.75)</p> <p>(iii) Existing rates of Kit Maintenance Allowance to be doubled for all categories of employees presently in receipt of this allowance. Uniform Allowance for nurses should also be increased to Rs.500 per month. (Para No. 4.2.76)</p> <p>(iv) The rates of Uniform Allowance and Kit Maintenance Allowance for all the above categories shall be increased by 25% every time the Dearness Allowance on revised pay bands goes up by 50%. (Para No. 4.2.77)</p>	Grant	Rate	Initial grant	Rs.14000	Renewal grant	Rs.3000 (payable after every three years)	Grant	Amount	Initial grant	Rs.16000	Renewal grant	Rs.5000 (payable after every three years)	<p>Accepted</p> <p>Accepted</p> <p>Accepted</p> <p>Accepted</p>
Grant	Rate													
Initial grant	Rs.14000													
Renewal grant	Rs.3000 (payable after every three years)													
Grant	Amount													
Initial grant	Rs.16000													
Renewal grant	Rs.5000 (payable after every three years)													

8.	<p>Miscellaneous Allowance</p> <p>The Commission recommends doubling of the extant rates of Cycle Allowance, Washing Allowance, Cash Handling Allowance, Special Allowance, Night Duty Allowance and Split Duty Allowance. Similarly, rates of allowances specific to different Ministries/Departments/Organisations not covered in this Report will also be doubled. The rates of these allowances will be increased by 25% every time the Dearness Allowance payable on revised pay scales goes up by 50%. Simultaneously, Machine Allowance should henceforth be withdrawn. (Para No. 4.2.81)</p>	Accepted
9.	<p>Caretaking Allowance</p> <p>The amount of caretaking allowance may henceforth be paid at the rate of 10% of the aggregate of pay in the pay band and grade pay thereon. (Para 3.8.8)</p>	Accepted
10.	<p>Training Allowance and Sumptuary Allowance in Training Academies and Staff Colleges</p> <p>(i) The training allowance may be raised to 30% of basic pay for deputationist trainers drawn from Government, universities and academic institutions working as faculty members in the National/Central Training Academies and Institutes for Group A officers. This allowance may continue to be drawn for the period the trainer is on study or tour related to training activities. Separate deputation allowance will not be payable to these trainers. It may continue at the existing rate for other training establishments. (Para No. 6.4.6)</p> <p>(ii) The Sumptuary allowance may be raised to Rs.3500 per month for the Director or Head of these National /Central Training Establishments for Group A Officers and also be extended to Course Directors and Counselors at the rate of Rs 2500 and Rs 2000 per month respectively. (Para No. 6.4.6)</p>	Accepted
11.	<p>Leave Travel Concession (LTC)</p> <p>(i) Central Government employees should be allowed to travel to their home town along with their families on three occasions in a block of four years and to any place in India on the fourth occasion. This facility shall be available to the Government</p>	Accepted

	<p>officers only for the first two blocks of four years applicable after joining the Government for the first time. The blocs of 4 years shall apply with reference to the initial date of joining the Government even though the employee changes the job within Government subsequently. The existing blocks will remain the same but the entitlements of the new recruit will be different in the first eight years of service. All other provisions concerning frequency of travel under LTC are to be retained. (Para No. 4.3.5)</p>	
(ii)	<p>Travel entitlements, whether for the purpose of official tour/transfer or LTC, should be same but no daily allowance will be payable for travel on LTC. Further, the facility shall be admissible only in respect of journeys performed in vehicles operated by the Government or any Corporation in the public sector run by the Central or State Government or a local body. (Para No. 4.3.6)</p>	Accepted
(iii)	<p>Parents and/or step parents (stepmother and stepfather) who are wholly dependent on the Government employee shall be included in the definition of family for the purpose of LTC irrespective of whether they are residing with the Government employee or not. The definition of dependency is being linked to the minimum family pension for all purposes. Accordingly, all parents and/or step parents whose total income from all sources is less than the minimum family pension prescribed in Central Government and dearness relief thereon would be included in the definition of family for this purpose. The extant conditions in respect of other relations included in the family including married /divorced /abandoned /separated /widowed daughters shall continue without any change. (Para No. 4.3.7)</p>	Accepted
(iv)	<p>While encashment of Earned Leave upto 10 days along with LTC to the extent of total of 60 days may be continued, the leave encashed at the time of availing LTC should not be deducted from the maximum amount of Earned Leave encashable at the time of retirement. Consequently, the employees would be eligible to encash 300 days of Earned Leave at the time of their retirement, even though they may have encashed Earned Leave of upto 60 days during their career while availing</p>	Accepted

	LTC, whether to their home town or to any place in India. Insofar as Railways is concerned, the employees shall be allowed to avail of this encashment at the time of availing of passes for a maximum of 60 days in the entire career subject to the condition that successive encashment cannot be made before a minimum period of two years has elapsed. (Para No. 4.3.8)	
12.	Ration Money Allowance for CPMF personnel Payment of Ration Money Allowance to the CPMF personnel on par with that available to the defence forces. Ration money allowance should continue to be paid to only those categories of CPMFs personnel which are presently in receipt of this allowance. (Para No. 7.19.37)	Accepted
13.	Family Accommodation Allowance for CPMF personnel Introduction of a new Family Accommodation Allowance to be paid at the lowest rate of HRA for all the CPMFs personnel who are not eligible for either rent free accommodation/HRA or CILQ. The rates of this allowance will increase by 25% each time the price index increases by 50%. (Para No. 7.19.42)	Accepted

ANNEX-II

Recommendations of Sixth CPC that have not been accepted by the Government

Sl. No.	Recommendation
1.	Liberal 'severance package' for those employees who want to leave service without pension with more than 15, but less than 20 years of service.
2.	Recommendation relating to Holiday Policy that there should only be three closed holidays for Government employees.
3.	Flexi-hours for women employees and flexi-weeks for employees with disabilities.

ANNEX-III

Recommendations of Sixth CPC which will be examined separately

Sl. No.	Gist of Recommendations
1.	Recommendation related to Bonus and Over Time Allowance.
2.	Recommendation related to General Provident Fund for Central Government employees and Central Government Employees Group Insurance Scheme.
3.	Recommendation related to lateral shift of Defence personnel to Central Para Military Forces.
4.	Introduction of Health Insurance Scheme for Central Government employees and pensioners.
5.	Upgradation of the posts of Additional Deputy Comptroller & Auditor General of India, Members, CBEC and Members, CBDT to the Apex Scale of Rs.80,000 (fixed).
6.	Merger of all accounts services.
7.	Corporatization of Indian Railways.
8.	Abolition of Indian Telecom Service and Telecom Commission.
9.	Outsourcing the process of commutation of pension to a PSU Bank/Institution.
10.	Upgradation of the post of Director, Indira Gandhi National Forest Academy in Ministry of Environment & Forests to the higher pre-revised grade of Rs.26000 (fixed)